

38

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार ।

बैठक संख्या - २६
दिनांक: २१-१२-१९९९

हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की २६ वीं बोर्ड बैठक
दिनांक २१/१०/१९९९ की उपस्थिति

क्र०सं०	नाम व पद नाम	विभाग का नाम	हस्ताक्षर
१.	श्री सुभाष कुमार, अध्यक्ष,	ह०वि०प्रा०	
२.	श्री राजकुमार सिंह, उपाध्यक्ष,	ह०वि०प्रा०	
३.	श्रीमती आराधना शुक्ला, जिलाधिकारी	हरिद्वार	
४.	एन.पी. सिंह	प्रमुख नगरपालिका	
५.	उत्तम सिंह, अध्यक्ष, ग०पंचायत, मुक्तिरी		
६.	स्नेह लता शर्मा, अध्यक्ष, नगर परिषद, त्रिभुवन		
७.	डॉ० अश्विनी चौरसिया	SDM त्रिभुवन	
८.	उषाकांत गुप्ता	संयुक्त निदेशक, कौशल विकास	
९.	वी० के० गुप्ता	सहायक निदेशक, नगर	
१०.	श. रस. राजा	अतिरिक्त जिलाधिकारी/जिलाधिकारी, जिला	
११.	विश्वेश चंद्र	एस. टी. एल. कौशल	
१२.	उषा भारद्वाज	प्रमुख नगरपालिका BHEL नामित सदस्या, कौशल	
१३.	वी० डी० गुप्ता	अधीक्षक अभियंता, जल निगम, सुंदरनगर	
१४.	वी० लक्ष्मी गुप्ता	जिला सुलभा इकाई	

1

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की २६वीं बैठक दिनांक २१-१२-२०२० का कार्यवृत्त

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की २६वीं बोर्ड बैठक दिनांक २१.१२.२०२० को अध्यक्ष/आयुक्त, सहारनपुर मण्डल की अध्यक्षता में हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

१- श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, सहारनपुर मण्डल	अध्यक्ष
२- श्री राजकुमार सिंह, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
३- श्रीमती आराधना शुक्ला, जिलाधिकारी, हरिद्वार	सदस्य
४- श्री विजय कुमार गुप्ता, सहयुक्त नियोजक, मेरठ	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के नामित सदस्य
५- श्रीमती उषा भारद्वाज	गैर सरकारी नामित सदस्य
६- श्रीमती स्नेह लता शर्मा, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश	पदेन सदस्य
७- श्री उत्तम सिंह राणा, अध्यक्ष, नगरपंचायत, मुनि की रेती	पदेन सदस्य
८- श्री उषा कान्त गुप्ता, संयुक्त निदेशक, कोषागार, मेरठ	प्रमुख सचिव, वित्त के नामित सदस्य
९- श्री बी०डी० गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, जल निगम, सहारनपुर	प्रबन्ध निदेशक, उ०ग्र० जल निगम के नामित सदस्य
१०- श्री एन०पी० सिंह, प्रशासक नगरपालिका, इद्वार	पदेन सदस्य
११- श्री दिनेश चन्द्र, प्रभारी, नगरपंचायत, रानीपुर, बी०एच०ई०एल०	पदेन सदस्य
१२- डा० अरविन्द चौरसिया, एस०डी०एम०, ऋषिकेश	जिलाधिकारी देहरादून के नामित सदस्य

सर्वप्रथम विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। उपाध्यक्ष द्वारा जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा विकास प्राधिकरण के कार्यों में दिये गये सहयोग के लिये विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुये उनका बैठक में स्वागत किया गया। इसके अतिरिक्त विकास प्राधिकरण की सचिव द्वारा भी पहली बार बोर्ड बैठक में भाग लिया गया है, अतः उनका भी स्वागत किया गया। इसके उपरान्त अध्यक्ष/आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है:-


Secretary


20/11/2020
Vice Chairman


Chairman/Commissioner

39

प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 21-12-99 की एजेण्डा सूची

क्र.सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1	विगत बोर्ड बैठक दि० 27-02-99 की कार्यवाही की पुष्टि ।	1
2	विगत बोर्ड बैठक दि० 27-02-99 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन ।	1 से 8 तक
3	हरिद्वार विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में गंगा नदी के तट से दोनों ओर 200 मी० तक के शमन प्रकरणों पर विचार ।	9
4	उमा महेश्वर परमार्थ ट्रस्ट हेतु भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी ।	10
5	विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) संशोधन उपविधि 1998(स्वैच्छिक शमन उपविधि) में आवश्यक परिष्कार ।	11
6	विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति की कास्टिंग के लिए आदर्श मार्गदर्शक सिद्धान्त(गाइड लाइन्स) लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।	12
7	ले०क०न०ल आर.सी.कुकरेती के मुनिकीरेती स्थित भूखण्ड पर निर्माण की अनुज्ञा के सम्बन्ध में ।	12
8	पं० ललित मोहन शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश का मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	13
9	सेन्ट्रल वाटर कमीशन, गंगा डिवीजन, हरिद्वार के कार्यालय मानचित्र विषयक।	13
10	भवन उपविधि के सम्बन्ध में ।	14
11	ग्राम हरिपुर कलौं जिला देहरादून के खसरा नं०-781,784,340,नया गाटा सं०-785(क) के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	15 से 16 तक
12	हरिद्वार महायोजना 1985-2001 के सम्बन्ध में ।	17
13	सुदृढीकरण शुल्क के सम्बन्ध में ।	17
14	बस अड्डा स्थापित करने विषयक ।	18
15	नया हरिद्वार में ट्रान्सपोर्ट नगर के सम्बन्ध में ।	19 से 20 तक
16	अनधिकृत कालोनी के नियमितीकरण सम्बन्धी ।	21 से 34 तक
17	जिला पंचायत, हरिद्वार की ज्वालापुर स्थित तहसील हरिद्वार के समीप भवन मानचित्र सं०-म०यो०3(क)मान०/हरि०/474/98-99 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	34
18	स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया में स्पष्टीकरण ।	35
19	प्राधिकरण अधिवक्ता के अनुबन्ध वेतन पर विचार ।	35
20	प्राधिकरण के आय-व्ययक 1999-2000 की वित्तीय प्रगति एवं आय-व्ययक को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में ।	36 से 40 तक

मद संख्या 29.01

विषय: विगत बोर्ड बैठक दिनांक 27-02-99 की कार्यवाही की पुष्टि ।

प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक दि० 27-02-99 को सम्पन्न हुई थी । बैठक की कार्यवाही प्राधिकरण के सभी माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है । किसी भी सदस्य/पदाधिकारी द्वारा कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव प्रेषित नहीं किया गया है। कार्यवाही की पुष्टि प्रस्तावित है।

मद संख्या 29.02

विषय: विगत बोर्ड बैठक दि० 27-02-99 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन ।

क्र.सं.	विषय	निर्णय	अनुपालन
1	ऋषिकेश मुनि की रेती क्षेत्र की महायोजना पर आपत्ति सुझावों पर सुनवाई ।	इस महायोजना के सम्बन्ध में सहयुक्त नियोजक मेरठ द्वारा जो सूचनायें मांगी गयी है वह दि० 20-3-99 तक उन्हें उपलब्ध करा दी जाय। इसके उपरान्त सचिव,ह०वि०प्रा०की अध्यक्षता में गठित समिति एक बैठक दि० 20-4-99 तक आयोजित कर मामले को अन्तिम रूप देकर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।	ऋषिकेश मुनिकीरेती क्षेत्र की महायोजना के सम्बन्ध में सचिव,ह०वि०प्रा०की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठकें सम्पन्न हो चुकी है। इसी क्रम में आयुक्त/अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में भी वन विभाग के अधिकारियों के साथ दि० 5-8-99 को बैठक सम्पन्न हो चुकी है। अद्यतन स्थिति से सहयुक्त नियोजक मेरठ अवगत करायेंगे।

मद संख्या-२६.०१: विगत बोर्ड बैठक दिनांक २७-०२-६६ की कार्यवाही की पुष्टि

प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक दिनांक २७-०२-६६ को सम्पन्न हुयी थी। बैठक की कार्यवाही प्राधिकरण के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। किसी भी सदस्य/पदाधिकारी द्वारा कार्यवाही के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्रेषित नहीं किया गया है, अतः सर्वसम्मति से विगत बैठक दिनांक २७-०२-६६ के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद संख्या-२६.०२: विगत बोर्ड बैठक दिनांक २७-०२-६६ में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन

विगत बैठक के निर्णयों के कार्यान्वयन/अनुपालन के संबंध में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी। अनुपालन से सहमत होते हुये सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय भी लिये गये:-

२६.०२.०१ ऋषिकेश-मुनि की रेती महायोजना का प्रारूप सहयुक्त नियोजक द्वारा बैठक में प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा इसपर सहमति व्यक्त करते हुये यह निर्णय लिया गया कि इस महायोजना को शासन को अनुमोदनार्थ भेजा जाय। चर्चा के दौरान यह बिन्दु भी उठाया गया कि ऋषिकेश में परगनाधिकारी के न्यायालय में मुकदमें लम्बित होने के कारण मानचित्रों की स्वीकृति में कठिनाई आ रही है, अतः प्राधिकरण द्वारा अपेक्षा की गयी कि आयुक्त, गढ़वाल मण्डल को इस संबंध में एक पत्र भेजा जाय कि वह संबंधित परगनाधिकारी को उपरोक्त मुकदमों का शीघ्र निस्तारण करने के लिये निर्देशित करने का कष्ट करें।


२६.०२.०२ ग्राम हरिपुर कलों जिला देहरादून के खसरा नं० ७८१, ७८४, ३४० नया गाटा संख्या-७८५(क) के संबंध में अचगत कराया गया कि मद संख्या-२६.११ पर बोर्ड के विचारार्थ यह प्रकरण अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

२६.०२.०३ हरिद्वार महायोजना भाग-अ के संबंध में अनुस्मारक पत्र दिनांक ८.७.६६, २६.७.६६ तथा दिनांक ३०.१०.६६ को भेज दिये गये हैं।

२६.०२.०४ जल निगम द्वारा देय ब्याज रु० २३७६२.०० दिनांक ३०.३.६६ को जमा किया जा चुका है, अतः प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।


Secretary


20/1/2000
Vice Chairman


Chairman/Commissioner

- 2 ग्राम हरिपुर कलों जिला इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया प्रकरण की सुनवाई उपरोक्त गठित समिति देहरादून के खसरा नं० कि दि० 20-4-99 तक सचिव, द्वारा सुनवाई की जा चुकी है। प्रकरण मद 781,784,340 नया गाटा ह०वि०प्रा०की अध्यक्षता में गठित सं०-29.11 में विचारार्थ प्रस्तुत है। सं०-785(क) का पार्क एवं समिति द्वारा एक बैठक कर ली जाय और मामले को अन्तिम रूप देकर प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
- 3 हरिद्वार महायोजना भाग-अ की विसंगतियों के सम्बन्ध में । इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि शासन को पुनः अनुस्मारक भेज दिया जाय । निर्णयानुसार शासन को अनुस्मारक पत्र सं०-1028 दि० 8-7-99, 1241 दि० 29-7-99 तथा 1981 दि० 30-10-99 द्वारा भेज दिये गये है ।
- 4 सरकारी विभागों पर आरोपित शुल्क को बिलम्ब से जमा करने के फलस्वरूप देय ब्याज में छूट सम्बन्धी । जल निगम पर जो ब्याज आरोपित किया गया था उसके सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है कि यदि उनके द्वारा देय ब्याज की धनराशि प्राधिकरण में जमा न की जाये तो वसूली हेतु आर०सी०भेज दी जाय। जल निगम द्वारा देय ब्याज रू० 23762.00 दि० 30-3-99 के द्वारा जमा किया जा चुका है।

२६.०२.०५ प्राधिकरण की प्रगति रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

(१) आई०डी०एम०एम०टी० योजना के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जिला प्रशासन को प्राधिकरण द्वारा बनाये गये नालों की सूची उपलब्ध करायी जाये।

(२) हरिद्वार विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि श्याम लोक तथा हरिलोक आवासीय योजनाओं की समस्त सम्पत्तियों का निस्तारण इसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक करने का प्रयास किया जाये।

(३) अवगत कराया गया कि अम्बार शुल्क से संबंधित धनराशि स्थानीय निकाय को भुगतान की जा चुकी है।

२६.०२.०६ ऋषिकेश में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हेतु सहयुक्त नियोजक, मेरठ द्वारा ऋषिकेश महायोजना में स्थल निर्धारित कर दिया गया है।

२६.०२.०७ अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के संबंध में प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि इस संबंध में प्रस्ताव मद संख्या-२६.१६ पर अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसका आकलन कर लिया जाये कि अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण से प्राधिकरण को कितनी आय होनी सम्भावित है तथा उसी के अनुसूप कैम्प इत्यादि लगाते हुये कालोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जाय।

२६.०२.०८ आडीटोरियम के निर्माण के संबंध में अवगत कराया गया कि निविदायें आमन्त्रित की जा चुकी हैं।

२६.०२.०९ अवगत कराया गया कि विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) द्वितीय संशोधन उपविधि १९६८ विकास प्राधिकरण में अंगीकृत की जा चुकी हैं।

२६.०२.१० पुनरीक्षित बजट वर्ष १९६८-६९ तथा ६९-२००० के संबंध में कोई अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

२६.०२.११ अहमदपुर कड़च्छ, कनखल की बाईपास स्थित खसरा नं०-७४७ (निर्मल बाग) के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में अवगत कराया गया कि प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है।

२६.०२.१२ ऋषिकेश महायोजना क्षेत्र में स्थित ग्राम गोहरी माफ्री को हरिद्वार विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है।

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

5 प्राधिकरण की प्रगति रिपोर्ट के सम्बन्ध में ।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

(1) आई.डी.एस.एम.टी. योजना में चल रहे कार्यों को दि० 31-3-99 तक पूर्ण कर लिया जाय तथा इस सम्बन्ध में आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कराई जाय तथा योजना के कार्यों का निरीक्षण भी कराया जाये।

योजना के अन्तर्गत चल रहे नाला निर्माण सम्बन्धी कार्य पूर्ण हो गये हैं। आयुक्त महोदय द्वारा मासिक बैठक कर कार्य की नियमित समीक्षा की जा रही है।

(2) ह०वि०प्रा० की आवासीय योजनाओं के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं कि माह अप्रैल 99 में योजनाओं के उन आवंटियों के विरुद्ध अभियान चलाया जाये जो बकाएदार हैं तथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय। यदि आवश्यकता पड़े तो उन्हें सम्पत्ति से बेदखल भी किया जाय। इस बारे में नोटिस तथा अन्य औपचारिकताएँ मार्च 99 तक पूर्ण कर लिए जायें।

निर्देशानुसार आवंटियों से वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही की गयी। फलस्वरूप हरिलोक योजना में वसूली औसतन लक्ष्य से अधिक ही रही है। निरस्तीकरण उपरान्त रिक्त सम्पत्ति को विक्रय हेतु पंजीकरण खोला गया। वर्तमान में भी पंजीकरण खुला हुआ है। आय अधिक होने के फलस्वरूप आय अनुमान को पुनरीक्षित बजट में बढ़ाकर रखा जा रहा है।

(3) अम्बार शुल्क के बारे में यह देख लिया जाय कि किस-किस विभाग को कितनी-कितनी धनराशि दी जानी है, तदनुसार आगामी कार्यवाही की जाय। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है। नगरपालिका हरिद्वार को भुगतान भी किया जा चुका है।

6 ट्रांसपोर्ट नगर योजना के भूमि कय के सम्बन्ध में । ऋषिकेश में ट्रांसपोर्ट नगर हेतु ऋषिकेश महायोजना (प्रारूप) में ट्रांसपोर्ट नगर हेतु प्रस्तावित स्थल को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने पर विचार किया जा रहा है। अतः स्थल निर्धारित होने के पश्चात ट्रांसपोर्ट नगर योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जायेगी।

7 हरिद्वार विकास क्षेत्रान्तर्गत नियोजित तथा नियन्त्रित विकास के सम्बन्ध में । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

(1) सभी अवर अभियन्ता अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित अनधिकृत कालोनियों का सर्वे करके विस्तृत रिपोर्ट देंगे तथा प्रमाण-पत्र देंगे कि अब उनके क्षेत्र में कोई अनधिकृत कालोनी शेष नहीं है जिसकी रिपोर्ट नहीं की गयी है।

सर्वेक्षण कार्य कर लगभग 32 अनधिकृत कालोनियाँ चिन्हीकृत की जा चुकी है, जिसको जनसाधारण में समाचार पत्र एवं हैण्डबिल के माध्यम से प्रचारित/प्रसारित किया गया है।

- (2) सभी अनधिकृत कालोनियों में हो रही अनधिकृत निर्माणों को तुरन्त रोक दिया जाय। सर्वेक्षण कार्य कर लगभग 32 अनधिकृत कालोनियाँ चिन्हीकृत की जा चुकी है, जिसको जनसाधारण में समाचार पत्र एवं हैण्डबिल के माध्यम से प्रचारित/प्रसारित किया गया है। प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं।
- (3) सभी अवर अभियन्ता यह भी प्रमाण-पत्र 15-3-99 तक देंगे कि सभी अनधिकृत कालोनी में स्थित सारे अवैध निर्माणों में धारा 27/28 की कार्यवाही की जा चुकी है। सर्वे कराकर समस्त अनधिकृत कालोनियाँ चिन्हित की जा चुकी है।
- (4) दि० 15-3-99 के पश्चात यदि कोई अनधिकृत कालोनी संज्ञान में आती है तो सम्बन्धित अवर अभियन्ता को उत्तरदायी माना जायेगा तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। प्रस्ताव सं०-29.16 में विचारार्थ प्रस्तुत है।
- (5) सभी अनधिकृत कालोनियों को नियमानुसार नियमित कराया जाय ।

8 जिला न्यायाधीश के इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया रूड़की विश्वविद्यालय से बहुउद्देशीय हाल
आवास के समीप कि भल्ला कालेज स्थित का डिजाइन कराकर निविदायें आमन्त्रित की
नगरपालिका की भूमि पर नगरपालिका की भूमि पर गई थी परन्तु दरें अधिक होने के कारण दि०
आडीटोरियम के निर्माण आडीटोरियम बनाये जाने हेतु 22-12-99 को पुनः निविदायें आमन्त्रित की
के सम्बन्ध में । इसका विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार करायी है।
कराकर दि० 15-3-99 तक
नगरपालिका परिषद हरिद्वार को
उपलब्ध करा दिया जाय।

9 विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) द्वितीय संशोधन शासनादेश सं०-5079/9-आ-1-98 कोई अनुपालन अपेक्षित नहीं है।
उपविधि 1998 के पुनः दि० 15-12-98 के द्वारा प्राप्त निर्दिष्ट परिष्कारों के सम्बन्ध में
संशोधित शमन उपविधि शासनादेश सं०-460/9-आ-1-99-120-वि०/98
दि० 3-2-99 द्वारा पुनः इस निर्देश के साथ प्राप्त हुई है कि
प्रारूप उपविधि में आवश्यक परिष्कारों का समावेश करते हुये
द्वितीय संशोधन शमन उपविधि विकास प्राधिकरण में अंगीकृत
कराकर शासन को अनुमोदनार्थ एवं प्रकाशन हेतु उपलब्ध करायी
जाय।

- 10 पुनरीक्षित बजट वर्ष 1998-99 एवं प्रस्तावित बजट 99-2000 बोर्ड बैठक के समक्ष वर्ष 98-99 का पुनरीक्षित बजट तथा वर्ष 1999-2000 का बजट प्रस्तुत किया गया एवं अनुमोदन प्रदान किया गया । कोई अनुपालन अपेक्षित नहीं है।
- 11 अहमदपुर कडच्छ, कनखल की बाईपास स्थित खसरा नं०-747(निर्मल बाग) के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि इसे शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया जाय । प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक-46/मान/2000 दि० 5-4-99 द्वारा शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र सं०-2615 दि० 14-7-99 का भी उत्तर शासन को इस कार्यालय के पत्रांक 1220 दि० 26-7-99 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है।
- 12 ऋषिकेश महायोजना क्षेत्र में स्थित ग्राम गोहरी माफी को हरिद्वार विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित करने पर विचार। प्रस्ताव प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुए इसे शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यालय के अर्द्ध शा.पत्रांक 879/एस०टी०/99 दि० 28-6-99 द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया गया है।

13 आश्रय विहीन व्यक्तियों के लिए संचालित आश्रय योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्त पोषण की व्यवस्था एवं आश्रय के आवंटन के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यह निर्णय लिया गया कि आश्रय योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण के पैटर्न पर ही हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा भवनों की सामान्य आवंटन नियमावली के आधार पर आवंटन करने की प्रक्रिया लागू की जाय तथा इस प्रयोजनार्थ जो फार्म छपवाये जाय उसमें नियमावली सम्बन्धी उल्लेख कर दिया जाय। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

14 ज्वालापुर स्थित नन्दपुरी कालोनी के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष/आयुक्त द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण द्वारा यह आकलन किया जाय कि शेष विकास कार्यों को कराने पर कितना व्यय आयेगा तथा यह भी अवगत कराया जाय कि वर्ष 1993 में अन्य कालोनी के सम्बन्ध में निर्धारित विकास शुल्क की दरें क्या थी। वर्तमान में संगणित लागत के आधार पर पुनरीक्षित विकास शुल्क की गणना कर प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु आयुक्त/अध्यक्ष को बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया। शुल्क की गणना कर ली गयी है। उपाध्यक्ष ने निर्देश दिये है कि वे इस सम्बन्ध में आयुक्त/अध्यक्ष महोदय से चर्चा कर वे स्वयं पत्रावली उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

- २६.०२-१३ आश्रय योजना के संबंध में उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्ष में नगरपालिका द्वारा आश्रय विहीन व्यक्तियों की सूची एवं भूमि दोनों उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिस कारण प्राधिकरण द्वारा सीधे प्रार्थना पत्र संकलित करने पड़े तथा बोर्ड की अनुमति से प्राधिकरण ने अपनी आवासीय योजना में ही आश्रय योजना से संबंधित भवनों का निर्माण किया गया। बोर्ड द्वारा नगरपालिका से अपेक्षा की गयी कि इस वित्तीय वर्ष हेतु ऐसे व्यक्तियों की सूची प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जाये जो पालिका की भूमि पर अतिक्रमण किये हुये हैं तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यन्त हानिकारक माहौल में रह रहे हैं। यह भी निर्णय लिया गया कि पालिका इस हेतु प्राधिकरण को भूमि उपलब्ध कराये तथा यदि आवश्यक हुआ तो प्राधिकरण इस भूमि के लिये शासन द्वारा जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित है वह नगरपालिका को करेगा।
- २६.०२-१४ ज्वालपुर स्थित नन्दपुरी कालोनी के नियमितकरण के संबंध में अवगत कराया गया कि वांछनीय कार्यवाही कर ली गयी है, अतः प्रकरण एलेण्डा से समाप्त किया गया।

मद संख्या-२६.०३: हरिद्वार विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में गंगा नदी के तट से दोनों ओर २०० मीटर तक के शमन प्रकरणों पर विचार

प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि शासन तथा उच्च न्यायालय के ऐसे आदेश हैं कि गंगा के तट से २०० मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधियां अनुमन्य न की जायें किन्तु स्वेच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत इस प्रकार के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिनमें गंगा तट से २०० मीटर के भीतर के क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा निर्माण कर लिया गया है एवं स्वेच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत शमन हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये:-

- (अ) गंगा नदी से २०० मीटर की दूरी तक निर्माण प्रतिबन्धित करने का शासनादेश जिस तिथि को प्राप्त हुआ है, उस तिथि से पूर्व जो निर्माण हो चुके हैं, ऐसे निर्माणों का शमन कर दिया जाये।
- (ब) यह भी आकलन कर लिया जाये कि ऐसे कितने निर्माण हैं, जो शासनादेश प्राप्त होने की तिथि से पहले हो चुके हैं, किन्तु संबंधित व्यक्तियों द्वारा उनके शमन हेतु आवेदन ही नहीं किया गया है। ऐसे व्यक्तियों से अपवेदन प्राप्त करके उन अवैध निर्माणों का भी शमन किया जाये।
- (स) शासनादेश प्राप्त होने के उपरान्त जो निर्माण गंगा नदी के तट से २०० मीटर तक के क्षेत्र में हुये हैं उनका शमन न किया जाये।
- (द) यदि किसी प्रकरण में गंगा नदी के तट से २०० मीटर की दूरी निर्धारित करने में किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो उस संबंध में सचवाई विभाग द्वारा दी गयी आख्या को अन्तिम माना जाये।

Secretary

20/11/2000
Vice Chairman

Chairman/Commissioner

मद संख्या 29.03

विषय: हरिद्वार विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में गंगानदी के तट से दोनो ओर 200 मी० तक के शमन प्रकरणों पर विचार ।

शासनादेश सं०-2810/9-आ-1-98 दि० 23-09-98 के द्वारा गंगा नदी के तट से दोनो ओर 200 मी० की दूरी तक कोई भी गतिविधि अनुमन्य न किये जाने के आदेश दिये गये हैं। इस क्रम में उक्त तिथि से कोई भी गतिविधि अनुमन्य नहीं की जा रही है। उक्त शासनादेश प्राधिकरण में, प्रभावी होने की तिथि से पूर्व मानचित्र स्वीकृति का कार्य पूर्व की भाँति किया जा रहा था, इसी क्रम में प्राधिकरण की 27वीं बोर्ड बैठक दि० 11-12-98 में कुछ मानचित्र जो कि उक्त शासनादेश प्रभावी होने से पूर्व स्वीकृति हेतु विचाराधीन चले आ रहे थे, पर स्वीकृतियाँ जारी की गईं।

शासन द्वारा शमन हेतु प्रोत्साहन के क्रम में एक स्वैच्छिक शमन योजना लागू की गयी जो दि० 31-12-98 से 31-01-99 तक लागू रही एवं इस योजना को पुनः एक माह हेतु बढ़ाया गया। इस योजना के तहत लगभग 54 ऐसे शमन आवेदन प्राप्त हुए जो गंगा नदी तट से 200 मी के अन्दर स्थित हैं। ऐसे प्रकरणों में वे अनाधिकृत निर्माण शामिल हैं जो या तो उक्त शासनादेश प्रभावी होने से पूर्व निर्मित हो चुके थे या फिर मानचित्र स्वीकृत होने के उपरान्त आंशिक फेरबदल के कारण हुये हैं चूँकि शासन द्वारा शमन हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है एवं इसके अतिरिक्त ऐसे निर्माणों को ध्वस्त किया जाना भी व्यावहारिक व न्यायसंगत प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः निम्न बिन्दुओं पर विचार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है:-

1. शासनादेश सं०-2810/9-आ-1-98 दि० 23-09-98 प्राधिकरण में प्रभावी होने की तिथि से पूर्व 200 मी० के अन्दर पूर्ण हुए अनधिकृत निर्माणों एवं इसी दूरी में अन्य स्वीकृत किए गए मानचित्रों में हुए परिवर्तनों को शमन कर दिया जाय ।
2. स्वैच्छिक शमन योजना के प्रभावी होने की तिथि तक पूर्ण हुए सभी निर्माणों को शासन द्वारा शमनित किया जाने के निर्देश दिये गये हैं अतः इस क्रम में यह प्रस्ताव है कि इस तिथि अर्थात् 31-12-98 से पूर्व पूर्ण हुये सभी निर्माणों को जिसमें कि गंगा नदी के 200 मी० की दूरी तक के निर्माण भी शामिल हैं को शमनित कर दिया जाय ।

मद संख्या 29.04

विषय: उमा महेश्वर परमार्थ ट्रस्ट हेतु भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी ।

उमा महेश्वर परमार्थ ट्रस्ट द्वारा खसरा नं०-246(खेवट नं०-53) ग्राम शेखपुरा उर्फ कनखल मन्दिर निर्माण की अनुमति प्राधिकरण से मांगी गयी है। प्रश्नगत स्थल महायोजना में "कुम्भ मेला" भू-उपयोग के अन्तर्गत स्थित है महायोजना के प्रखण्डीय विनियमनों के अनुसार इस भू-उपयोग में कोई भी स्थायी निर्माण अनुमत्य नहीं है। इस सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्र 1997 दि० 27-8-99 भी अवलोकनीय है। संलग्न शासन द्वारा पत्रांक 3351(1)/9-आ-3-99-103 कम्प/99 दि० 15-10-99(संलग्न-पृष्ठ- 4।) द्वारा प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है तथा यह निर्देश दिये गये है कि अन्तिम अधिसूचना शासन द्वारा सभी जारी की जायेगी जब प्राधिकरण का मत/संस्तुति शासन को प्राप्त हो जायेगी। इस सम्बन्ध में सूचना दैनिक अमर उजाला, मेरठ तथा दैनिक मानव जगत समाचार पत्रों में दि० 8-11-99 को प्रकाशित हो चुकी है।

तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(5)

मद संख्या-२६.०४: उमा महेश्वर परमार्थ ट्रस्ट हेतु भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी

उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा बैरागी कैम्प स्थित उमा महेश्वर परमार्थ ट्रस्ट की भूमि के भू-प्रयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है तथा आपत्तियां आमंत्रित की गयी है। शासन की अधिसूचना में इस आशय का उल्लेख है कि कुम्भ मेले से जुड़े उपयोग हेतु एक मंदिर का निर्माण अनुमत्त होगा जो भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल के ५ प्रतिशत से अधिक भाग पर नहीं होगा, परन्तु उसका कुल आच्छादित क्षेत्रफल २५० वर्ग मी० से अधिक न होगा तथा ऊचाई भी १२ मीटर से अधिक न होगी। शासन ने यह अनुमति केवल उन्हीं संस्थाओं को देने का निर्णय लिया है जो कुम्भ या अर्द्धकुम्भ से सीधे जुड़ी धार्मिक संस्थायें हों तथा इस विषय पर प्राधिकरण का मत एवम् संस्तुति भी प्राप्त करने की अपेक्षा की गयी है। जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा कुम्भ मेले की भूमि पर किसी भी प्रकार के मंदिर इत्यादि के निर्माण पर आपत्ति व्यक्त की गयी तथा यह भी उल्लेख किया गया कि जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ऐसा निर्माण किया जाना अनुचित होगा। यद्यपि यह इंगित किया गया कि पूरे भू-भाग के केवल ५ प्रतिशत क्षेत्रफल पर ही शासन स्तर से मंदिर निर्माण की अनुमति दिये जाने का निर्णय लिया गया है तथापि प्राधिकरण के कई सदस्यों द्वारा यह आशंका व्यक्त की गयी कि इससे मेला भूमि पर निर्माण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, अतः _____ प्राधिकरण द्वारा इस प्रस्ताव से असहमति व्यक्त की गयी तथा प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।


Secretary


20/1/2000
Vice Chairman


Chairman/Commissioner

(5)

मद संख्या 29.05

विषय: विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) संशोधन उपविधि 1998 (स्वैच्छिक शमन उपविधि) में आवश्यक परिष्कार ।

शासनादेश सं०-4167/9-आ-1-98 दि० 29-10-98 द्वारा विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) द्वितीय संशोधन उपविधि 1998 को हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 27वीं विशेष बोर्ड बैठक दि० 11-12-98 में अंगीकृत कर शासन को राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित किया जा चुका है तथा उक्त उपविधि दि० 1-1-99 से 28-2-99 तक केवल 2 माह के लिए लागू भी किया जा चुका है।

तदुपरान्त शासनादेश सं०-460/9-आ-1-99-120/विविध/98 दि० 3-2-99 द्वारा रू० 1000.00 के समायोजन योग्य धनराशि के साथ एक माह की अवधि बढ़ाते हुए दि० 31-3-99 तक के लिए किया गया ।

उक्त के क्रम में पुनः शासनादेश सं०-3015/9-आ-1-1999-120 विविध/98 दि० 30-6-99(संलग्नक-पृष्ठ-)के अनुसार उक्त योजना की समय सीमा एक माह के निम्न बिलम्ब शुल्क के साथ बढ़ाये जाने हेतु प्राप्त हुआ इस धनराशि को वापस अथवा समायोजित नहीं किया जायेगा ।

1.	300 वर्ग मी० तक के एकल आवासीय भवन	रू० 1000.00
2.	300 वर्ग मी० से बढ़े एकल आवासीय भवन	रू० 1500.00
3.	कामर्शियल काम्पलैक्स व ग्रुप हाउसिंग	रू० 7500.00
4.	अन्य	रू० 3000.00

उक्त शासनादेश के अनुपालन में उक्त योजना की समय सीमा दि० 16-8-99 से दि० 31-08-99 तक लागू किया गया । इस प्रकार यह योजना अभी 15 दिन की अवधि हेतु पुनः लागू की जा सकती है। उपरोक्त शासनादेश बोर्ड द्वारा अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत है।

(6)

मद संख्या 29.05

विषय: विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) संशोधन उपविधि 1998 (स्वैच्छिक शमन उपविधि) में आवश्यक परिष्कार ।


शासनादेश सं0-4167/9-आ-1-98 दि0 29-10-98 द्वारा विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) द्वितीय संशोधन उपविधि 1998 को हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 27वीं विशेष बोर्ड बैठक दि0 11-12-98 में अंगीकृत कर शासन को राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित किया गया तथा उक्त उपविधि दि0 1-1-99 से 28-2-99 तक 2 माह के लिए लागू भी की गयी।


तदुपरान्त शासनादेश सं0-460/9-आ-1-99-120/विविध/98 दि0 3-2-99 द्वारा रू0 1000.00 के समायोजन योग्य धनराशि के साथ उक्त योजना एक माह की अवधि बढ़ाते हुए दि0 31-3-99 तक के लिए इसे पुनः लागू किया गया ।

उक्त के क्रम में पुनः शासनादेश सं0-3015/9-आ-1-1999-120 विविध/98 दि0 30-6-99 के अनुसार उक्त योजना की समय सीमा एक माह के बिलम्ब शुल्क के साथ बढ़ाये जाने हेतु प्राप्त हुआ ।

उक्त शासनादेश के अनुपालन में उक्त योजना दि0 16-8-99 से दि0 31-08-99 तक पुनः लागू की गयी । इस प्रकार यह योजना अभी 15 दिन की अवधि हेतु पुनः लागू की जा सकती है। सम्बन्धित शासनादेश बोर्ड द्वारा अंगीकृत किये गये तथा निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष अपने विवेकानुसार इसे पुनः शेष 15 दिन के लिए लागू कर सकते हैं।


Secretary


20/1/2000
Vice Chairman


Chairman/Commissioner

मद संख्या 29.06

विषय: विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों की कास्टिंग के लिए आदर्श मार्ग दर्शक सिद्धान्त (गाइड लाइन्स) लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

शासनादेश सं0-4049/9-आ-1-99/16 समिति/98 दि0 20-10-99 के अनुसार विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद की परिसम्पत्तियों की कास्टिंग के लिए आदर्श मार्गदर्शक सिद्धान्त(संलग्नक-पृष्ठ- 43)गाइड लाइन्स प्राप्त हुई है जिससे कि समस्त प्राधिकरणों में परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में एकरूपता बनी रहे। प्रकरण उक्त शासनादेश को प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किए जाने हेतु प्रस्तुत है।

मद संख्या 29.07

विषय: ले0कर्मल आर0सी0कुकरेती के मुनिकीरेती स्थित भूखण्ड पर निर्माण की अनुज्ञा के सम्बन्ध में।

ले0कर्मल आर0सी0कुकरेती की भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.067 हैक्टेयर ग्राम घुगत्याणी तल्ली तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी-गढवाल जो तपोवन से आगे बद्रीनाथ मार्ग के दायी ओर गंगा की तरफ स्थित है। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय द्वारा तपोवन से आगे बद्रीनाथ मार्ग एवं गंगा के बीच के भूखण्डों पर इस प्रतिबन्ध के साथ मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे हैं कि भवन का शिखर बिन्दु सड़क के लेबल से नीचा रहे। परन्तु प्रश्नगत भूखण्ड का लेबल ही सड़क के लेबल में है। अतः कोई निर्माण अनुमन्य नहीं किया जा सकता है। भूमि की दूरी गंगा नदी से लगभग 500 मी0 से भी अधिक है। अतः निर्माण की अनुमति देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है।

7

मद संख्या 29.06

विषय: विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों की कास्टिंग के लिए आदर्श मार्ग दर्शक सिद्धान्त (गाइड लाइन्स) लागू किए जाने के सम्बन्ध में।


शासनादेश सं०-4049/9-आ-1-99/16 समिति/98 दि० 20-10-99 के अनुसार विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद की परिसम्पत्तियों की कास्टिंग के लिए आदर्श मार्गदर्शक सिद्धान्त (गाइड लाइन्स) प्राप्त हुई है जिससे कि समस्त प्राधिकरणों में परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में एकरूपता बनी रहे। प्राधिकरण द्वारा उक्त शासनादेश में उल्लिखित आदर्श मार्गदर्शक सिद्धान्त (गाइड लाइन्स) अंगीकृत किये गये।

मद संख्या 29.07

विषय: ले०क०न०ल आर०सी०कुकरेती के मुनिकीरेती स्थित भूखण्ड पर निर्माण की अनुज्ञा के सम्बन्ध में।

ले०क०न०ल आर०सी०कुकरेती की भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.067 हैक्टेयर ग्राम घुगत्याणी तल्ली तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी-गढ़वाल जो तपोवन से आगे बद्रीनाथ मार्ग के दायी ओर गंगा की तरफ स्थित है। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय द्वारा तपोवन से आगे बद्रीनाथ मार्ग एवं गंगा के बीच के भूखण्डों पर इस प्रतिबन्ध के साथ मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे हैं कि भवन का शिखर बिन्दु सड़क के लेवल से नीचा रहे। परन्तु प्रश्नगत भूखण्ड का लेवल ही सड़क के बराबर है, अतः निर्माण अनुमन्य नहीं किया गया। भूमि की दूरी गंगा नदी से लगभग 500 मी० से भी अधिक है। अतः निर्माण की अनुमति देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ रखा गया। प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त मानचित्र हेतु विशेष परिस्थितियों में स्वीकृति प्रदान की गयी।


Secretary


20/11/2000
Vice Chairman


Chairman/Commissioner

52

मद संख्या 29.08

विषय: पं० ललित मोहन शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश का मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्राचार्य पं० ललित मोहन शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश का मानचित्र सं०-56/98-99 प्राधिकरण में दि० 18-7-99 को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। दि० 3-8-99 को सूचित आपत्तियों का निराकरण न करने के कारण दि० 13-8-99 को मानचित्र अस्वीकृत कर दिया गया। आपत्तियाँ मुख्य रूप से विभिन्न विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित थी। प्रश्नगत स्थल गंगा नदी से 200 मी० के अन्दर स्थित है। शासनादेश सं०-2810/9-आ-1-98 दि० 23-9-98 की प्रभावी होने से पूर्व जिलाधिकारी, देहरादून से अनापत्ति शेष थी जो दि० 24-1-99 में जारी की गयी। चूँकि आवेदक राजकीय संस्था है और मानचित्र शासनादेश जारी होने से पूर्व जमा किया जा चुका था। अतः मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 29.09

विषय: सेन्ट्रल वाटर कमीशन, गंगा डिवीजन, हरिद्वार के कार्यालय मानचित्र विषयक ।

सेन्ट्रल वाटर कमीशन, हिमालयन गंगा डिवीजन, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हेतु इस कार्यालय में मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं। मानचित्र "कार्यालय भवन" उपयोग हेतु प्रस्तावित है। यह स्थल नगर महायोजना में आवासीय आर-2 भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित है तथा लालजीवाला क्षेत्र में ठीक गंगा बैराज के किनारे स्थित है।

महायोजना के प्रखण्डीय विनियमनों के अनुसार आवासीय भू-उपयोग में कार्यालय प्रयोग की अनुमति सिर्फ प्राधिकरण बोर्ड तथा आवास विकास 30प्र०शासन द्वारा ही प्रदान की जा सकती है तथा इस परिस्थिति में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में आवेदक द्वारा देय होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में सिंचाई विभाग/विद्युत विभाग के कार्यालय/आवासीय भवन निर्मित हैं। चूँकि आवेदक भारत सरकार का प्रतिष्ठान है एवं बाढ़ नियन्त्रण जैसी महत्वपूर्ण इकाई है तथा इसका कार्यालय नदी तट पर स्थित रहना आवश्यक है। इस प्रकरण में आवेदक द्वारा भू-उपयोग शुल्क रू० 4.50 लाख देय होगा। आवेदक की प्रार्थना पर अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दि० 17-10-98 के क्रम में मानचित्र की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। आवेदक द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट प्रदान करने की प्रार्थना की जा रही है। तदनुसार विषयक प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 29.08

विषय: पं0 ललित मोहन शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश का मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्राचार्य पं0 ललित मोहन शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश का मानचित्र सं0-56/98-99 प्राधिकरण में दि0 18-7-99 को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था। दि0 3-8-99 को सूचित आपत्तियों का निराकरण न करने के कारण दि0 13-8-99 को मानचित्र अस्वीकृत कर दिया गया। आपत्तियों मुख्य रूप से विभिन्न विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित थी। प्रश्नगत स्थल गंगा नदी से 200 मी0 के अन्दर स्थित है। शासनादेश सं0-2810/9-आ-1-98 दि0 23-9-98 की प्रभावी होने से पूर्व जिलाधिकारी, देहरादून से अनापत्ति शेष थी जो दि0 24-1-99 में जारी की गयी। चूंकि आवेदक राजकीय संस्था है और मानचित्र शासनादेश जारी होने से पूर्व जमा किया जा चुका था, अतः मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा इस आधार पर मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी कि उक्त मानचित्र शासनादेश से पूर्व ही प्रस्तुत किया जा चुका था।

मद संख्या 29.09

विषय: सेन्ट्रल वाटर कमीशन, गंगा डिवीजन, हरिद्वार के कार्यालय मानचित्र विषयक।

सेन्ट्रल वाटर कमीशन, हिमालयन गंगा डिवीजन, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हेतु प्राधिकरण कार्यालय में मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं। मानचित्र "कार्यालय भवन" उपयोग हेतु प्रस्तावित है। यह स्थल नगर महायोजना में आवासीय आर-2 भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित है तथा लालजीवाला क्षेत्र में ठीक गंगा बैराज के किनारे स्थित है।

महायोजना के प्रखण्डीय विनियमनों के अनुसार आवासीय भू-उपयोग में कार्यालय प्रयोग की अनुमति सिर्फ प्राधिकरण बोर्ड तथा 30प्र0शासन द्वारा ही प्रदान की जा सकती है तथा इस परिस्थिति में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में आवेदक द्वारा देय होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में सिंचाई विभाग/विद्युत विभाग के कार्यालय/आवासीय भवन निर्मित हैं। आवेदक भारत सरकार का प्रतिष्ठान है एवं बाढ नियन्त्रण जैसी महत्वपूर्ण इकाई है तथा इसका कार्यालय नदी तट पर स्थित रहना आवश्यक है। इस प्रकरण में आवेदक द्वारा भू-उपयोग शुल्क रू0 4.50 लाख देय होगा। आवेदक की प्रार्थना पर अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दि0 17-10-98 के क्रम में मानचित्र की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। आवेदक द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट प्रदान करने की प्रार्थना की जा रही है। प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को शासन को निर्णयार्थ सन्दर्भित कर दिया जाये।

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

मद संख्या 29.10

विषय: भवन उपविधि के सम्बन्ध में।

(अ) शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को सुविधायें प्रदान करने हेतु मानक भवन उपविधि को लागू किया जाना शासनादेश सं0-4780/9-आ-1-99दि0 12-10-99(संलग्नक-पृष्ठ-53)द्वारा उपरोक्त भवन उपविधियाँ इस निर्देश के साथ प्राप्त हुई हैं कि इन्हें प्राधिकरण की विद्यमान भवन उपविधियों में समाविष्ट करते हुए प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत कर तत्काल अंगीकृत/अनुमोदित कर शासन को सूचित कर दिया जाय। तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(ब) आदर्श भवन उपविधि प्रारूप विषयक

वर्तमान में प्राधिकरण की प्रचलित भवन उपविधियों के अनुसार आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत करने हेतु न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल 80 वर्गमी0 निर्धारित है। हरिद्वार नगर में भूमि की अनुपलब्धता तथा उच्च भूमि दरों के कारण प्रायः 80 वर्गमी0 से भी छोटे-छोटे भूखण्ड जन साधारण द्वारा क्रय किये जाते हैं, परन्तु ऐसे मानचित्रों पर नियमानुसार स्वीकृति दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। शासनादेश सं0-3049/9-आ-1-99 दि0 25-6-99 द्वारा प्राधिकरण भवन उपविधियों में संशोधन हेतु आदर्श भवन उपविधि 1999 प्रारूप सुझाव/आपत्ति हेतु प्राप्त हुये हैं इस उपविधि के अध्याय-3, भाग-2में आवासीय प्रयोजन हेतु भूखण्ड के क्षेत्रफल की न्यूनतम अनिवार्यता 40 वर्गमी0 प्रस्तावित की गयी है जो कि सार्थक प्रतीत होती है।

अतः इस भवन उपविधि को प्राधिकरण द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार कर अंगीकृत किए जाने तक न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल 80 वर्गमी0 के स्थान पर 40 वर्गमी0 पर मानचित्र स्वीकृत किए जाने का प्राधिकार अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दि0 24-7-99 द्वारा लागू कर दिया गया है।

तदनुसार प्राधिकरण के सूचनार्थ प्रस्तुत ।

9

मद संख्या 29.10

विषय: भवन उपविधि के सम्बन्ध में।

(अ) शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को सुविधायें प्रदान करने हेतु मानक भवन उपविधि को लागू किया जाना


शासनादेश सं0-4780/9-आ-1-99 दि0 12-10-99 द्वारा उपरोक्त भवन उपविधियाँ इस निर्देश के साथ प्राप्त हुई हैं कि इन्हें प्राधिकरण की विद्यमान भवन उपविधियों में समाविष्ट करते हुए प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत कर तत्काल अंगीकृत/अनुमोदित कर शासन को सूचित कर दिया जाय। तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त उपविधियों को अंगीकृत किया गया।


(ब) आदर्श भवन उपविधि प्रारूप विषयक

वर्तमान में प्राधिकरण की प्रचलित भवन उपविधियों के अनुसार आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत करने हेतु न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल 80 वर्गमी0 निर्धारित है। हरिद्वार नगर में भूमि की अनुपलब्धता तथा उच्च भूमि दरों के कारण प्रायः 80 वर्गमी0 से भी छोटे-छोटे भूखण्ड जन साधारण द्वारा क्रय किये जाते हैं, परन्तु ऐसे मानचित्रों पर नियमानुसार स्वीकृति दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। शासनादेश सं0-3049/9-आ-1-99 दि0 25-6-99 द्वारा प्राधिकरण भवन उपविधियों में संशोधन हेतु आदर्श भवन उपविधि 1999 प्रारूप सुझाव/आपत्ति हेतु प्राप्त हुये हैं इस उपविधि के अध्याय-3, भाग-2 में आवासीय प्रयोजन हेतु भूखण्ड के क्षेत्रफल की न्यूनतम अनिवार्यता 40 वर्गमी0 प्रस्तावित की गयी है।

इस भवन उपविधि को प्राधिकरण द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार कर अंगीकृत किए जाने तक न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल 80 वर्गमी0 के स्थान पर 40 वर्गमी0 पर मानचित्र स्वीकृत किए जाने का प्राधिकार अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दि0 24-7-99 द्वारा लागू कर दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया।


Secretary


20/11/2000
Vice Chairman


Chairman/Commissioner

मद संख्या 29.11

विषय: ग्राम हरिपुर कलाँ जिला देहरादून के खसरा नं0-781,784,340, नया गाटा सं0-785(क) के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

ग्राम हरिपुर कलाँ जिला देहरादून के खसरा नं0-781,784,340, नया गाटा सं0-785(क) के भू-उपयोग सम्बन्धी प्रकरण पर विचार करने हेतु सचिव,ह0वि0प्रा0की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति गठित की गयी थी :-

1. सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण
 2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
7-बन्दरिया बाग,उ0प्र0 लखनऊ । अध्यक्ष
 3. जिलाधिकारी, टिहरी-गढवाल द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम न हो । सदस्य
 4. जिलाधिकारी, पौड़ी-गढवाल द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम न हो । सदस्य
 5. जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम न हो । सदस्य
 6. अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश सदस्य
 7. अध्यक्ष, नगर पंचायत मुनि-की-रेती सदस्य
- समिति की बैठक दि0 31-5-99 को सम्पन्न हो चुकी है तथा इसकी संस्तुतियाँ/समिति द्वारा परमहंस स्वामी उमा भारती, संस्थापक एवं अध्यक्ष,स्वामी सदस्य

समिति के पत्र दि0 10-6-96 का अवलोकन किया गया । सहयुक्त नियोजक, मेरठ सम्भागीय नियोजक खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 1985 तक प्रश्नगत स्थल पर केवल कृषि कार्य होता था जैसा कि हरिद्वार नगरीय क्षेत्र वर्तमान भू-उपयोग के मानचित्र से स्पष्ट है । आवेदक द्वारा अपने साक्ष्य में दाखिल किये गये खतौनी की प्रति, (1400 फसली) में उक्त भूमि में स्कूल,ट्यूबवैल, खेल का मैदान, गौशाला, भूसा स्टोर व आबादी दर्ज होना पाया जाता है।

मद संख्या 29.11

विषय: ग्राम हरिपुर कलाँ जिला देहरादून के खसरा नं0-781,784,340, नया गाटा सं0-785(क) के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

ग्राम हरिपुर कलाँ जिला देहरादून के खसरा नं0-781,784,340, नया गाटा सं0-785(क) के भू-उपयोग सम्बन्धी प्रकरण पर विचार करने हेतु सचिव, ह0वि0प्रा0की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति गठित की गयी थी :-

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण | अध्यक्ष |
| 2. | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
7-बन्दरिया बाग, 30प्र0 लखनऊ के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 3. | जिलाधिकारी, टिहरी-गढवाल द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर
जिलाधिकारी स्तर से कम न हो । | सदस्य |
| 4. | जिलाधिकारी, पौड़ी-गढवाल द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर
जिलाधिकारी स्तर से कम न हो । | सदस्य |
| 5. | जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर
जिलाधिकारी स्तर से कम न हो । | सदस्य |
| 6. | अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश | सदस्य |
| 7. | अध्यक्ष, नगर पंचायत मुनि-की-रेती | सदस्य |

समिति की बैठक दि0 31-5-99 को सम्पन्न हो चुकी है ।

सहयुक्त नियोजक, मेरठ सम्भागीय नियोजक खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 1985 तक प्रश्नगत स्थल पर केवल कृषि कार्य होता था जैसा कि हरिद्वार नगरीय क्षेत्र वर्तमान भू-उपयोग के मानचित्र से स्पष्ट है । आवेदक द्वारा अपने साक्ष्य में दाखिल किये गये खतौनी की प्रति, (1400 फसली) में उक्त

Secretary

20/11/2000
Vice Chairman

Chairman/Commissioner

तत्कालीन मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने अपने पत्र सं०-4877/न०नि०(2)/हरिद्वार स्कूटनी/96-97 दि० 22-10-96 द्वारा निम्न दो सुझाव दिये थे :-

1. सन्दर्भित स्थल के भू-प्रयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाय अथवा,
 2. स्थल के देहरादून जनपद के अन्तर्गत स्थित होने के कारण ऋषिकेश क्षेत्र की महायोजना जिसे बनाने का कार्य प्रगति में है, में समायोजित करते हुए हरिद्वार क्षेत्र से इसे हटाये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाय ।
- सहयुक्त नियोजक मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त क्रमांक 2 पर दिये गये सुझाव अत्यन्त जटिल है चूँकि सर्वप्रथम उक्त क्षेत्र को हरिद्वार महायोजना (भाग-अ) से निष्कासित (डिनोटिफाइड) करना होगा तत्पश्चात उक्त क्षेत्र को ऋषिकेश महायोजना (भाग ब), जिसके प्रारूप पर आपत्ति सुझावों की सुनवाई हो चुकी है में पुनः समायोजन करना होगा । उक्त के स्थान पर क्रमांक 1 पर अंकित सुझाव व्यावहारिक होगा जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की । प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण सहयुक्त नियोजक तथा मेरठ के नगर नियोजक द्वारा किया गया । स्थल पर कक्षा 10 तक का एक स्कूल विद्यमान है तथा अवशेष भूमि पर एक ट्यूबवैल, खेल का मैदान तथा कृषि भूमि उपलब्ध है। अतः समिति का मत है कि यदि प्राधिकरण की सहमति हो तो प्रश्नगत भूमि का भू-प्रयोग “पार्क एवं खुला स्थान” से “सामुदायिक सुविधायें(विद्यालय) हेतु परिवर्तन करने की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर सकता है शासनादेश सं०-1284/9-आ-3-99-73 विविध/99 दि० 24-3-99 के अनुसार हरित पट्टी के लिए चिह्नित भूमि का भू-प्रयोग परिवर्तन वन विभाग की अनापत्ति के बिना नहीं किया जा सकता । अतः आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्राप्त किया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त भू-प्रयोग परिवर्तन सम्बन्धी शासनादेशों के अनुसार भू-प्रयोग परिवर्तन शुल्क लिया जाना उचित होगा। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है ।

(11)

भूमि में स्कूल, ट्यूबवैल, खेल का मैदान, गौशाला, भूसा स्टोर व आबादी दर्ज होना पाया जाता है।

प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण सहयुक्त नियोजक मेरठ, तथा नगर नियोजक हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। स्थल पर कक्षा 10 तक का एक स्कूल विद्यमान है तथा अवशेष भूमि पर एक ट्यूबवैल, खेल का मैदान तथा कृषि भूमि उपलब्ध है। अतः समिति का मत है कि यदि प्राधिकरण की सहमति हो तो प्रश्नगत भूमि का भू-प्रयोग "पार्क एवं खुला स्थान" से "सामुदायिक सुविधायें" (विद्यालय) हेतु परिवर्तन करने की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाये। शासनादेश संख्या-1284/9आ-3-99-73 विविध/99 दिनांक 24.3.99 के अनुसार हरित पट्टी के लिये चिन्हित भूमि का भू-प्रयोग परिवर्तन वन विभाग की अनापत्ति के बिना नहीं किया जा सकता।

- प्राधिकरण द्वारा निम्न शर्तों के साथ प्रस्ताव शासन को भेजे जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी -
- (क) वन विभाग की "अनापत्ति" प्राप्त की जाये।
 - (ख) पक्षकार द्वारा भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराया जाये।

मद संख्या 29.12

विषय: हरिद्वार महायोजना 1985-2001

हरिद्वार विकास क्षेत्र (भाग-अ)

हरिद्वार महायोजना, हरिद्वार विकास क्षेत्र (भाग-अ) की योजना अवधि वर्ष 1985-2001 है। अतः आवश्यक है कि महायोजना के पुनरीक्षण का कार्य प्रारम्भ करवा दिया जाय। इस कार्य हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, को एजेन्सी घोषित किए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2001 के उपरान्त नवीन महायोजना लागू होने तक वर्तमान महायोजना ही प्रभावी रहेगी। तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ रखा गया। प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि नयी महायोजना लागू होने तक वर्तमान महायोजना ही लागू रहेगी।

Secretary

20/11/2000
Vice Chairman

Chairman/Commissioner

मद संख्या 29.12

विषय: हरिद्वार महायोजना 1985-2001

हरिद्वार विकास क्षेत्र (भाग-अ)

हरिद्वार महायोजना, हरिद्वार विकास क्षेत्र (भाग-अ) की योजना अवधि वर्ष 1985-2001 है। अतः आवश्यक है कि महायोजना के पुनरीक्षण का कार्य प्रारम्भ करवा दिया जाय। इस कार्य हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, को एजेन्सी घोषित किए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2001 के उपरान्त नवीन महायोजना लागू होने तक वर्तमान महायोजना ही प्रभावी रहेगी। तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 29.13

विषय: सुदृढीकरण शुल्क के सम्बन्ध में ।

शासनादेश सं०-2883 ए दि० 27-7-98 के अनुसार निर्देश दिये गये हैं कि विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के समय लिये गये सुदृढीकरण शुल्क के मद में मद की धनराशि को नगरपालिका को हस्तान्तरित किया जाये ।

प्राधिकरण द्वारा हरिद्वार विकास क्षेत्र में भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान करते समय आवेदक से विकास फीस, अम्बार फीस एवं पर्यवेक्षण शुल्क प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में लिया जाता है। सुदृढीकरण शुल्क लिये जाने की कोई व्यवस्था प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं की गयी है। इस प्रसंग में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि विभिन्न प्राधिकरणों में विकास क्षेत्र में सम्मिलित वह क्षेत्र जो 'विकसित क्षेत्र' है में भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान करते समय जो शुल्क लिया जाता है उसे सुदृढीकरण शुल्क का नाम दिया गया है एवं 'विकासशील' अथवा अविकसित क्षेत्र में भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान करते समय जो शुल्क लिया जाता है उसे 'विकास फीस' का नाम दिया गया है, अतः हरिद्वार विकास क्षेत्र विषयक महायोजना में प्रदर्शित भू-उपयोग बी-1(पुराना आबादी क्षेत्र-शहरी) एवं बी-2(ग्रामीण आबादी क्षेत्र) में भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान करते समय लिये जाने वाले शुल्क को सुदृढीकरण शुल्क का नाम दिया जाना उचित होगा तथा इस प्रकार प्राप्त शुल्क को नगर पालिकाओं में स्थापित 'नगरीय अवस्थापना विकास निधि' में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। यह भी प्रस्ताव है कि जन प्रकरणों में प्राधिकरण किसी भी प्रकार का शुल्क या चार्ज किसी भी प्रकार देना निकाय देत संकलित करे उसमें संकलित का 10 प्रतिशत बतौर स्टाफ शुल्क प्राधिकरण को देव हो।

(12)

मद संख्या 29.13

विषय: सुदृढीकरण शुल्क के सम्बन्ध में ।

शासनादेश सं०-2883/9-आ-3-98 दि० 27-7-98 में निर्देश दिये गये हैं कि विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के समय लिये गये सुदृढीकरण शुल्क के मद में मद की धनराशि को नगरपालिका को हस्तान्तरित किया जाये ।

प्राधिकरण द्वारा हरिद्वार विकास क्षेत्र में भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान करते समय आवेदक से विकास फीस, अम्बार फीस एवं पर्यवेक्षण शुल्क प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में लिया जाता है। सुदृढीकरण शुल्क लिये जाने की कोई व्यवस्था प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं की गयी है। प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त शासनादेश अंगीकृत किया गया तथा यह निर्णय भी लिया गया कि सुदृढीकरण शुल्क की जो धनराशि प्राधिकरण द्वारा स्थानीय निकाय को स्थानान्तरित की जायेगी उसका 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क के रूप में प्राधिकरण को देय होगा।


मद संख्या 29.14


विषय: अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डा (आई०एस०बी०टी०) स्थापित करने विषयक ।

किसी भी नगर का विकास उस नगर में यातायात सुविधाओं एवं परिवहन संरचनाओं पर निर्भर करता है। नगर का भौतिक विकास ही नहीं वरन् नगर की आर्थिक, सामाजिक क्रियायें आदि भी नगर में उपलब्ध यातायात सुविधा एवं परिवहन प्रणाली पर निर्भर करता है।

हरिद्वार शहर का वर्तमान बस अड्डा नगर के मध्य स्थित होने के कारण यातायात में काफी अवरोध उत्पन्न होता है। इस विषय में क्रमशः विधायक श्री अम्बरीष कुमार तथा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार द्वारा अपने पत्र दि० 21-04-99 व 10-05-99 द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि ऋषिकुल के उस मैदान में जहाँ कुम्भ के अवसर पर


Secretary


20/11/2000
Vice Chairman


Municipal Commissioner

मद संख्या 29.14

विषय: बस अड्डा स्थापित करने विषयक ।

किसी भी नगर का विकास उस नगर में यातायात सुविधाओं एवं परिवहन संरचनाओं पर निर्भर करता है। नगर का भौतिक विकास ही नहीं वरन् नगर की आर्थिक, सामाजिक क्रियायें आदि भी नगर में उपलब्ध यातायात सुविधा एवं परिवहन प्रणाली पर निर्भर करता है।

वर्तमान बस अड्डा नगर के मध्य स्थित होने के कारण यातायात में काफी अवरोध उत्पन्न होता है। इस विषय में क्रमशः विधायक श्री अम्बरीष कुमार तथा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार द्वारा अपने पत्र दि० 21-04-99 व 10-05-99 द्वारा यह सुझाव दिया है कि ऋषिकुल के उस मैदान में जहाँ कुम्भ के अवसर पर बस स्टेशन बनाया जाता है, में स्थायी रूप से अन्तर्राज्यीय बस स्टेशन का निर्माण कराया जाय तथा इसके सामने छोटे मैदान में टैक्सी, रिक्शा, तांगा, विक्रम स्टैण्ड बना दिया जाय। गंगा नहर से इस मैदान हेतु पुल बनाया जाय ताकि बाईपास मार्ग से ही सारा यातायात संचालित हो सके ।

इस विषय में अवगत कराना है कि उक्त स्थलों का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना में 'कुम्भ मेला' दर्शित है। बस अड्डे हेतु हरिद्वार महायोजना में पूर्व से ही भूपतवाला (शान्तिकुंज के निकट) तथा कनखल-जगजीतपुर (निकट दक्षेश्वर द्वीप) में पूर्व से आरक्षित है। इसमें से भूपतवाला की भूमि का आवासीय भू-उपयोग के सम्बन्ध में भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव पूर्व से शासन के विचाराधीन है।

अतः बस अड्डा स्थायी रूप से ऋषिकुल मैदान में निर्माण हेतु इस भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन आवश्यक होगा । इस भूमि पर बस अड्डे के निर्माण की स्थिति में नगर के मध्य स्थित बस अड्डे को समाप्त करना आवश्यक होगा तथा यह योजना दिल्ली परिवहन निगम के दिल्ली में स्थित आई०एस०बी०टी०की तर्ज पर निर्मित की जानी प्रस्तावित है। इस संचालन तथा रखरखाव भी इसी प्रकार किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के संचालन हेतु गंगा नहर पर पुल का निर्माण भी आवश्यक होगा। जब तक कि पुल निर्मित होता है, गंगा नहर पटरी को सड़क के रूप में विकसित कर नये हरिद्वार पुल से संचालित किया जा सकता है।

तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है।

बस स्टेशन बनाया जाता है, स्थायी रूप से अन्तर्राज्यीय बस स्टेशन का निर्माण कराया जाय तथा इसके सामने छोटे मैदान में टैक्सी, रिक्शा, तांगा, विक्रम स्टैण्ड बना दिया जाय। गंगा नहर से इस मैदान हेतु पुल बनाया जाय ताकि बाईपास मार्ग से ही सारा यातायात संचालित हो सके।

उक्त स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना में 'कुम्भ मेला' दर्शित है।

बस अड्डा स्थायी रूप से ऋषिकुल मैदान में निर्माण हेतु इस भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन आवश्यक होगा। इस भूमि पर बस अड्डे के निर्माण की स्थिति में नगर के मध्य स्थित बस अड्डे को समाप्त करना आवश्यक होगा तथा यह योजना दिल्ली परिवहन निगम के दिल्ली में स्थित आई०एस०बी०टी०की तर्ज पर क्रियान्वित की जानी प्रस्तावित है। इसका संचालन तथा रखरखाव भी इसी प्रकार किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के संचालन हेतु गंगा नहर पर पुल का निर्माण भी आवश्यक होगा। जब तक कि पुल निर्मित होता है, गंगा नहर पटरी को सड़क के रूप में विकसित कर नये हरिद्वार पुल से संचालित किया जा सकता है।

प्राधिकरण के समक्ष उपरोक्त प्रस्ताव रखा गया। प्राधिकरण की सदस्या श्रीमती ऊषा भारद्वाज द्वारा सुझाव दिया गया कि चूंकि ऋषिकुल के मैदान का समय-समय पर अन्य गतिविधियों द्वारा भी प्रयोग किया जाता है अतः आई०एस०बी०टी० का प्रस्ताव किसी अन्य स्थान के लिये किया जाना चाहिये। प्राधिकरण द्वारा इस विषय पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार तथा यातायात से संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी के माध्यम से स्थल चयन की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जाये। आई०एस०बी०टी० की व्यवस्थाओं के संबंध में प्रस्ताव से प्राधिकरण द्वारा सहमति व्यक्त की गयी, किन्तु यह भी निर्णय लिया गया कि जब प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जाये तब प्रस्ताव से संबंधित सभी पहलुओं का गहनता से परीक्षण हो जाये तथा इस विषय पर आयुक्त/अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित करते हुये सभी पहलुओं पर विस्तार से समस्त संबंधित के साथ चर्चा भी कर ली जाये। प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जहां पर आई०एस०बी०टी० का निर्माण किया जाये उसमें यात्रियों के लिये सभी सामान्य सुविधायें भी उपलब्ध कराने का अवश्य विचार किया जाये, जिसमें यात्री निवास एवं शापिंग काम्प्लेक्स इत्यादि की सुविधायें भी सम्मिलित हों।

Secretary

20/1/2000
Vice Chairman

Chairman/Commissioner

मद संख्या 29.15

विषय: हरिद्वार में ट्रान्सपोर्ट नगर के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की गत 26वीं बैठक दि० 15-9-98 में ग्राम सीतापुर में नवीन सब्जी मण्डी के समीप हरिद्वार महायोजना में प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट नगर योजना हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया था। बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की गयी थी। शासन द्वारा समय-समय पर ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना हेतु बल दिया जाता है। वर्तमान समय में उक्त कार्य का संचालन ज्वालापुर से होता है जहाँ घनी आबादी होने के कारण प्रायः दुर्घटना होने की सम्भावनायें बनी रहती हैं।

हरिद्वार महायोजना में ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु प्रस्तावित स्थल प्राधिकरण की हरिलोक आवासीय योजना तथा नीवन सब्जी मण्डी के समीप स्थित है तथा प्रस्तावित स्थल तक पहुँच मार्ग कम चौड़ा तथा सीतापुर ग्रामीण आबादी के मध्य से गुजरने के फलस्वरूप स्थल की उपयुक्तता उचित नहीं है। भारी वाहनों के आवागमन को देखते हुए ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना मुख्य मार्ग से संलग्न होना आवश्यक है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में रानीपुर टोल चुंगी के निकट नगरपालिका परिषद हरिद्वार की लगभग 30 बीघा भूमि उपयुक्त है शेष संलग्न आवश्यक भूमि अधिग्रहीत/क्रय की जा सकती है। महायोजना में प्रस्तावित स्थल का भू-उपयोग आवासीय/खुला स्थल प्रदर्शित है। अतः आवश्यक भूमि (15.00 हैक्टेयर) का भू-प्रयोग ट्रान्सपोर्ट नगर एवं ट्रक अड्डा में परिवर्तित करते हुये ग्राम सीतापुर के प्रस्तावित "ट्रान्सपोर्ट नगर एवं ट्रक अड्डा" हेतु प्रस्तावित भू-प्रयोग की 'आवासीय'(आर-2) में परिवर्तन करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन प्रस्तुत है।

इस सन्दर्भ में यह भी अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या 3081/9-आ-1-1998-8बैठक/98 दि० 9-9-98 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के क्रियान्वयन हेतु की ट्रैफिक समस्याओं का अध्ययन कराते हुये विश्व बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं हेतु मानकों के अनुरूप एप्रोच डाक्यूमेन्ट/रिपोर्ट तैयार की जाय। अतः इस प्रकार की माडलिंग/फिजीविलिटी रिपोर्ट तैयार कराने हेतु देश की इस क्षेत्र की शीर्षस्थ संस्थाओं से टैकनो-इकानोमिक प्रस्ताव दि० 14-12-98 तक मांगे गये थे। इस सम्बन्ध में निम्न संस्थाओं की टैकनो-इकानोमिक प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं जिनमें से सबसे उपयुक्त का चयन किया जाना है तथा इनकी कन्सल्टेन्सी फीस भी निर्धारित की जानी है:-

मद संख्या 29.15

विषय: हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट नगर के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की गत 26वीं बैठक दि० 15-9-98 में ग्राम सीतापुर में नवीन सब्जी मण्डी के समीप हरिद्वार महायोजना में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर योजना हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया था। बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की गयी थी। शासन द्वारा समय-समय पर ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हेतु बल दिया जाता है।

भारी वाहनों के आवागमन को देखते हुए ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना मुख्य मार्ग से संलग्न होना आवश्यक है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में रानीपुर टोल चुंगी के निकट का स्थान चयनित करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष रखा गया। प्राधिकरण द्वारा समुचित विचारोपरान्त ट्रांसपोर्ट नगर के संबंध में निम्न निर्णय लिये गये:-

- (क) ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के लिये भूमि की उपयुक्तता के संबंध में एक समिति गठित कर दी जाये जिसकी अध्यक्षता सचिव-हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा की जाये तथा सदस्य के रूप में अध्यक्ष-नगरपालिका परिषद-हरिद्वार, नगर मजिस्ट्रेट-हरिद्वार, अपर पुलिस अधीक्षक-हरिद्वार तथा ट्रैफिक से संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी, नगर नियोजक-ह०वि०प्रा० एवं अधिशासी अभियंता-ह०वि०प्रा० हों। समिति द्वारा जब स्थल चयन के संबंध में विचार किया जाये तो ट्रांसपोर्टों की इस प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित की जाये। समिति द्वारा स्थल चयन तथा अन्य आवश्यकताओं के संबंध में रिपोर्ट उपाध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष/आयुक्त को प्रस्तुत की जायेगी तथा इस पर बोर्ड की ओर से अन्तिम निर्णय अध्यक्ष/आयुक्त द्वारा लिया जायेगा।
- (ख) यदि आवश्यकता हो तो इसी समिति की राय मद संख्या-29.14 में उल्लिखित आई०एस०बी०टी० के संबंध में भी प्राप्त की जा सकती है।
- (ग) प्राधिकरण के समक्ष ट्रांसपोर्ट नगर के विषय में संस्थाओं द्वारा जो टेक्नो-इकानोमिक प्रस्ताव किया गया है उसपर भी समिति द्वारा विचार किया जायेगा तथा समिति द्वारा ही इन संस्थाओं हेतु कन्सल्टेन्सी फीस भी प्रस्तावित की जायेगी।

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

1. सेन्ट्रल रोड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली ।
 2. राइट्स, नई दिल्ली ।
 3. कन्सलटिंग इन्जीनियरिंग सर्विस नई दिल्ली ।
 4. दलाल कन्सलटेन्ट्स नई दिल्ली ।
 5. टाटा कन्सलटेन्ट्स सर्विसेज, नई दिल्ली ।
 6. ट्रान्सपोटेशन विभाग, रूडकी विश्वविद्यालय, रूडकी ।
 7. वास्तुकला नियोजन विभाग रूडकी विश्वविद्यालय, रूडकी ।
 8. आपरेशन रिसर्च ग्रुप, बडौदा ।
- अतः तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 29.16

विषय: अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण सम्बन्धी ।

नगरीय क्षेत्रों में अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु समय-समय पर शासन द्वारा बल दिया जाता रहा है। इस विषय में प्राधिकरण विकास क्षेत्र में किये गये एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 30 अनधिकृत कालोनियाँ विकसित हैं। इनमें से मात्र 11 कालोनियाँ ही महायोजनानुसार आवासीय निर्मित क्षेत्रान्तर्गत हैं। अतः प्रथम चरण में केवल इन्हीं कालोनियों के नियमितीकरण पर विचार उचित होगा । शेष कालोनियों के नियमितीकरण पर विचार द्वितीय चरण में शासन स्तर से भू-उपयोग परिवर्तन अथवा हरिद्वार की भविष्य में संशोधित होने वाली महायोजना में समायोजन के पश्चात किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु नीति-निर्धारित किये जाने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण में लागू नीति तथा मेरठ विकास प्राधिकरण में विचाराधीन नीति का परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार कराया गया है जिसका तुलनात्मक विवरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करते हुए हरिद्वार विकास क्षेत्र में अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण की प्रस्तावना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अतः प्रस्ताव है कि इस रणनीति के आधार पर नियमितीकरण के प्रस्ताव समय-समय पर तैयार कराकर अध्यक्ष महोदय के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दिया जाय।

तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

आगरा विकास प्राधिकरण में लागू मेरठ विकास प्राधिकरण में विचाराधीन तथा हरिद्वार विकास प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तावित अनधिकृत कालोनी के नियमितीकरण की प्रस्तावना का तुलनात्मक विवरण ।

आगरा विकास प्राधिकरण के प्राविधान मेरठ विकास प्राधिकरण में विचाराधीन हरिद्वार विकास प्राधिकरण की प्रस्तावना

महायोजना में दर्शित " आवासीय " के अन्तर्गत निर्मित कालोनी

- | | | | |
|----|--|------|------|
| 1. | कालोनाइजर को नोटिस/समाचार पत्र के माध्यम से तलपट मानचित्र प्राधिकरण में जमा एवं सर्वेक्षण करवाकर कार्यवाही की जाय। | तदैव | तदैव |
|----|--|------|------|

मद संख्या 29.16

विषय: अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण सम्बन्धी ।

नगरीय क्षेत्रों में अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु समय-समय पर शासन द्वारा बल दिया जाता रहा है। इस विषय में प्राधिकरण विकास क्षेत्र में किये गये एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 30 अनधिकृत कालोनियाँ विकसित हैं।

उपरोक्त अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु नीति-निर्धारित किये जाने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण में लागू नीति तथा मेरठ विकास प्राधिकरण में विचाराधीन नीति का परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार कराया गया है जिसका तुलनात्मक विवरण प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करते हुए हरिद्वार विकास क्षेत्र में अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण की प्रस्तावना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गयी । सम्यक विचारोपरान्त हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण का जो प्रस्ताव तैयार कराया गया है उसको अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में अवैध कालोनियों के नियमितीकरण हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया ही अपनायी जायेगी। प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अवैध कालोनियों के नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव एक समिति द्वारा तैयार किया जायेगा, जिसकी अध्यक्षता सचिव-हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा की जायेगी, जिसके सदस्य अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार, नगर नियोजक, ह0वि0प्रा0, अधिशासी अभियंता, ह0वि0प्रा0, वरिष्ठ लेखाधिकारी-ह0वि0प्रा0 तथा सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्रा0 मेरठ होंगे। इस समिति द्वारा प्रत्येक कालोनी के नियमितीकरण का प्रस्ताव उपाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपाध्यक्ष द्वारा इस पर अध्यक्ष/आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त तदनुसार ही अवैध कालोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

Secretary

20/1/2000
Vice Chairman

Chairman/Commissioner

आगरा विकास प्राधिकरण के प्राविधान	मेरठ विकास प्राधिकरण में विचाराधीन	हरिद्वार विकास प्राधिकरण की प्रस्तावना
2. कालोनी में निर्मित भवनों में प्र-शमन की कार्यवाही की जाय।	तदैव	तदैव
3. वाह्य विकास शुल्क, आगरा विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में निर्धारित प्रचलित वाह्य विकास शुल्क लिया जाय ।	वर्ष 1999-2000 तक वर्तमान में प्राविधानित रू0 75.00 प्रति वर्ग मी0 भूखण्ड क्षेत्रफल पर लिया जाना प्रस्तावित है तथा दि0 1-4-2000 से रू0 100.00 प्रति वर्ग मी0 आरोपित किया जाना प्रस्तावित है।	वाह्य विकास शुल्क, ह0वि0प्रा0की बोर्ड बैठक में प्रचलित वाह्य विकास शुल्क लिया जाय।
4. आन्तरिक विकास शुल्क अवशेष विकास कार्यों के लिए वास्तविक गणनानुसार प्रत्येक निर्मित/निर्मित होने वाले भवनों पर प्राप्त किया जायेगा ।	तदैव	तदैव

अनधिकृत कालोनी के नियमितकरण की प्रक्रिया
महायोजना में दर्शित "आवासीय" भू-उपयोग के अन्तर्गत निर्मित कालोनी

1. कालोनाइजर को नोटिस/समाचार पत्र के माध्यम से तलपट मानचित्र प्राधिकरण में जमा कराते हुये एवं सर्वेक्षण करवाकर कार्यवाही की जाय।
2. कालोनी में निर्मित भवनों में प्र- शमन की कार्यवाही की जाय।
3. वाह्य विकास शुल्क-ह0वि0प्रा0की बोर्ड बैठक में प्रचलित वाह्य विकास शुल्क लिया जाय ।
4. आन्तरिक विकास शुल्क अवशेष विकास कार्यों के लिए वास्तविक गणनानुसार प्रत्येक निर्मित/निर्मित होने वाले भवनों पर प्राप्त किया जायेगा ।
5. प्रारम्भिक विकसित होने वाली कालोनियों में जिनमें कालोनाइजर द्वारा प्लॉट होल्डर/भवन स्वामियों को आन्तरिक अवस्थापना सुविधाओं हेतु आश्वासन दिया गया है, उनमें कालोनाइजर सम्बन्धित विभागों जैसे नगर पालिका परिषद, रा0विद्युत परिषद आदि से लिखित रूप में एक निश्चित समयावधि तक उक्त सुविधा कालोनी में दिये जाने की अन्डरटेकिंग प्रस्तुत करेगा तथा कालोनाइजर को उक्त कार्यों हेतु निश्चित समयावधि प्रदान कर दी जाय। अवशेष विकास कार्यों के सम्बन्ध में कालोनाइजर या कालोनी के सदस्यों की उत्तरदायी समिति से आंकलित विकास व्यय के समान धनराशि की बैंक गारण्टी ली जाय । यदि भवन स्वामी/भू- धारक आंकलित आन्तरिक विकास व्यय की समानुपातिक धनराशि का 50 प्रतिशत जमा कर देते हैं तथा अवशेष धनराशि 8 समान त्रैमासिक किस्तों में 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (त्रैमासिक चक्रवृद्धि)सहित प्राधिकरण में जमा करने की दशा में ही कालोनी का नियमितकरण किया जाय।

Signature
20/11/2000

Signature

5. प्रारम्भिक विकसित होने वाली कालोनियों में जिनमें कालोनाइजर द्वारा प्लॉट होल्डर/भवन स्वामियों को आन्तरिक सुविधाओं हेतु आश्वासन दिया गया है, उनमें कालोनाइजर सम्बन्धित विभागों जैसे नगर निगम, विद्युत परिषद आदि से लिखित रूप में एक निश्चित समयावधि तक उक्त सुविधा कालोनी में दिये जाने की अन्डरटेकिंग प्रस्तुत करें तथा कालोनाइजर को उक्त हेतु निश्चित समयावधि प्रदान कर दी जाय। अवशेष विकास कार्यों के सम्बन्ध में कालोनाइजर या कालोनी के सदस्यों का उत्तर दायी समिति को आकलित विकास व्यय की 1.5 गुना धनराशि की बैंक गारण्टी देते हुए प्राधिकरण के साथ अनुबन्ध होगा।
- बैंक गारण्टी आंकलित/अवशेष आन्तरिक विकास के समतुल्य लिये जाने तथा यदि भवन स्वामी/भू-धारक आंकलित आन्तरिक विकास व्यय की समानुपातिक धनराशि का 50 प्रतिशत जमा कर देते हैं तथा अवशेष धनराशि 2 वर्षों में 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्राधिकरण में जमा करने की दशा में ही कालोनी के नियमितीकरण किया जाना प्रस्तावित है।
- बैंक गारण्टी आंकलित/अवशेष आन्तरिक विकास के समतुल्य लिये जाने तथा यदि भवन स्वामी/भू-धारक आंकलित आन्तरिक विकास व्यय की समानुपातिक धनराशि का 50 प्रतिशत जमा कर देते हैं तथा अवशेष धनराशि 2 वर्षों में 15 प्रति शत ब्याज सहित प्राधिकरण में जमा करने की दशा में ही कालोनी के नियमितीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

6. जिन मामलो में प्रशमन शुल्क की धनराशि रू0 25000.00 (रू0 पच्चीस हजार मात्र)से अधिक होगी उन मामलों में सम्बन्धित व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करायी जाय तथा अवशेष धनराशि 6 समान त्रैमासिक किस्तों में 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज(त्रैमासिक चक्रवृद्धि) सहित जमा की जा सकती है। डिफाल्टर होने की स्थिति में 18 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज लिया जाय। वाह्य विकास शुल्क एवं अतिरिक्त विकास शुल्क की धनराशि एक मुश्त पहले प्राप्त की जायेगी।
7. नियमितीकरण के उपरान्त यदि भवन इकाईयों के स्वामियों द्वारा स्वेच्छा से प्रशमन हेतु आवेदन नहीं किया जाता है तो उपनगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाय।
8. ऐसी कालोनियाँ जहाँ न तो कालोनाइजर उपलब्ध है तथा न ही कालोनी का तलपट मानचित्र उपलब्ध है उनमें कालोनी के कम से कम 50 प्रतिशत भूखण्ड धारकों/निवासियों द्वारा कालोनी के नियमितीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा । इस प्रकार की कालोनियों में आवेदकों की रजिस्ट्रीयों में वर्णित ऐसे हर व्यक्ति को कालोनाइजर के रूप में चिन्हित किया जायेगा जिसने कम से कम 5 व्यक्तियों की रजिस्ट्री की हो। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 14,26 व 27 के अधीन कार्यवाही की जायेगी ।

Signature
20/1/2000
Vice Chairman
Vice Chairman

Signature
Chairman/Commissioner

आगरा विकास प्राधिकरण के प्राविधान

मेरठ विकास प्राधिकरण में विचाराधीन

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की प्रस्तावना

6. जिन मामलों में प्रशमन शुल्क की धनराशि रू0 25000.00 हजार से अधिक होगी उन मामलों में सम्बन्धित व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करायी जाय तथा अवशेष धनराशि 6 त्रैमासिक किस्तों में वसूल की जा सकती है। डिफाल्टर होने की स्थिति में 16 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाय। बाह्य विकास शुल्क एवं अतिरिक्त विकास शुल्क की धनराशि एक मुश्त पहले प्राप्त की जायेगी।

प्रशमन एवं विकास शुल्क की कार्यवाही आगरा विकास प्राधिकरण के अनुसार ही प्रस्तावित है।

तदैव

9. सर्वेक्षण के दौरान सड़कों, पार्कों, नालियों, बिजली, पानी जिस स्थिति में उपलब्ध हों उन्हें उसी स्थिति में चिन्हित कर लिया जाय ताकि भविष्य में इन सुविधाओं का अतिक्रमण न हो सके। नियमितीकरण के पूर्व कालोनी की सड़कों की चौड़ाई, पार्कों के क्षेत्रफल इत्यादि के सम्बन्ध में निम्नलिखित मापदण्डों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(अ) जो कालोनियाँ मानकों के अनुरूप हैं तथा ले-आउट प्लान स्वीकृत नहीं कराया गया है उनको वाह्य विकास शुल्क, ह0वि0प्रा0 की बोर्ड बैठक में निर्धारित वाह्य विकास शुल्क से 25 प्रतिशत अधिक लेकर नियमित किया जाय।

(ब) जिन कालोनियों में 60 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर भवन निर्मित हो चुके हैं इस प्रकार की कालोनियों में वाह्य विकास शुल्क 40 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा ।

(स) निर्धारित मानकों से कम चौड़ी आन्तरिक सड़क उपलब्ध होने की दशा में मानकों से कम मार्ग के क्षेत्रफल के सापेक्ष भूमि पर 125 प्रतिशत सर्किल रेट के अनुसार अधिभार लिया जायेगा ।

(द) मानकों से पार्क का क्षेत्रफल 50 प्रतिशत अथवा अधिक होने की दशा में पार्क के कम क्षेत्रफल के समतुल्य भूमि का सर्किल रेट के अनुसार मूल्य का 1.25 गुना अधिभार लिया जायेगा । 50 प्रतिशत से कम

[Signature]
20/1/2000

[Signature]
Chairman/Commissioner

आगरा विकास प्राधिकरण के प्राविधान	मेरठ विकास प्राधिकरण में विचाराधीन	हरिद्वार विकास प्राधिकरण की प्रस्तावना
7. नियमितीकरण के उपरान्त यदि भवन ईकाईयों के स्वामियों द्वारा स्वेच्छा से प्रशमन हेतु आवेदन नहीं किया जाता है तो 30प्र0नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाय।	तदैव	तदैव
8. -----	सीलिंग विभाग की अनापत्ति के सम्बन्ध में प्रत्येक भू-स्वामी से सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत भूमि सीमाधिक्य न होने सम्बन्धित शपथ पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।	लागू नहीं है।
9. -----	अनधिकृत रूप से किये गये भूखण्डों में शासनादेशानुसार भूमि मूल्य का 1 प्रतिशत भू-विभाजन शुल्क लिया जाय।	तदैव

क्षेत्रफल होने की दशा में कुल कम क्षेत्रफल के समतुल्य भूमि में से 50 प्रतिशत क्षेत्रफल तक की भूमि पर सर्किल रेट का 2 गुना अधिभार तथा शेष बाँछित 50 प्रतिशत क्षेत्रफल पर सर्किल रेट का 1.25 गुना अधिभार लिया जायेगा। डलावघर चिन्हित नहीं करने पर रू० 5000.00(रू० पाँच हजार मात्र) तथा न बनाये जाने की स्थिति में रू० 10000.00 (रू० दस हजार मात्र) का अतिरिक्त अधिभार डलावघर के निर्माण की लागत के अतिरिक्त देय होगा।

- (य) जिन कालोनियों में 25 प्रतिशत से अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम भूखण्डों पर भवन निर्मित हो चुके हैं। उनमें सड़कों की चौड़ाई न्यूनतम 6.00 मी० तथा पार्कों का क्षेत्रफल मानकों के 50 प्रतिशत तक होने पर ही नियमितीकरण हेतु चयनित किया जायेगा ऐसी कालोनियों में बिन्दु (ब),(स) व (द) के अनुसार अतिरिक्त विकास शुल्क एवं अधिभार लिया जायेगा।
- (र) जिन कालोनियों में 25 प्रतिशत से कम भूखण्डों पर भवन निर्माण हुये हैं उन कालोनियों में सड़कों की चौड़ाई, पार्क क्षेत्रफल व सामुदायिक सुविधाओं में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

अनधिकृत कालोनियाँ जो महायोजना में आवासीय भू-उपयोग के विरुद्ध दर्शित हैं-

1. ऐसी कालोनियों जो महायोजना में आवासीय भू-उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोगों में निर्मित हुई हैं उनमें इस प्रकार महायोजना के विरुद्ध विकसित कालोनियों के नियमितीकरण को प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा। गुण दोष के आधार पर यदि कोई कालोनी नियमितीकरण हेतु उपयुक्त पायी जाती है तो शासनादेश सं०-2243/9-आ-3-98-26-एल.यू.सी./ 91 दि० 20-8-98 के प्राविधानों के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के साथ नियमित करने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन उपरान्त शासन को सन्दर्भित किया जाय।

Secretary

Vice Chairman
20/11/2000

Chairman/Commissioner

आगरा विकास प्राधिकरण के प्राविधान

मेरठ विकास प्राधिकरण में विचाराधीन

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की प्रस्तावना

10. ऐसी कालोनियों जहाँ न तो कालोनाइजर उपलब्ध है तथा न ही कालोनी का तलपट मानचित्र उपलब्ध है। उनमें कालोनी के कम से कम 50 प्रतिशत भूखण्ड धारकों/निवासियों द्वारा कालोनी के नियमितीकरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा । इस प्रकार की कालोनियों में आवेदकों की रजिस्ट्रीयों में वर्णित ऐसे हर व्यक्ति को कालोनाइजर के रूप में चिन्हित किया जायेगा जिसमें कम से कम 5 व्यक्तियों की रजिस्ट्री की हो। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 14,26 व 27 के अधीन कार्यवाही की जायेगी

तदैव

तदैव

आगरा विकास प्राधिकरण के प्राविधान

मेरठ विकास प्राधिकरण में विचाराधीन

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की प्रस्तावना

11. सर्वेक्षण के दौरान सड़कों, पार्को, नालियों, बिजली, पानी जिस स्थिति में उपलब्ध हों उन्हें उसी स्थिति में चिन्हित कर लिया जाय ताकि भविष्य में इन सुविधाओं का अतिक्रमण न हो सके। नियमितकरण के पूर्व कालोनी की सड़कों की चौड़ाई, पार्को के क्षेत्रफल इत्यादि के सम्बन्ध में निम्नलिखित मापदण्डों के साथ कार्यवाही किये जाने का प्राविधान किया जाना है।

तदैव

तदैव

(अ) जो कालोनियाँ मानकों के अनुरूप हैं तथा ले-आउट स्वीकृत नहीं कराया गया है। उन पर वाह्य विकास शुल्क 25 प्रतिशत अधिक लेकर नियमित किया जाय।

वर्ष 1999-2000 तक वाह्य विकास शुल्क वर्तमान में प्रचलित रू० 75.00 प्रति वर्ग मी० भूखण्ड क्षेत्रफल पर तथा दि० 1-4-2000 से रू० 100.00 प्रति वर्ग मी० वाह्य विकास शुल्क लिया जाय।

वाह्य विकास शुल्क, ह०वि०प्रा० की बोर्ड बैठक में निर्धारित वाह्य विकास शुल्क से 25 प्रतिशत अधिक लेकर नियमित किया जाय।

आगरा विकास प्राधिकरण के प्राविधान	मेरठ विकास प्राधिकरण में विचाराधीन	हरिद्वार विकास प्राधिकरण की प्रस्तावना
(ब) जिन कालोनियों में 60 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर भवन निर्मित हो चुके हैं। उनमें सड़कों की चौड़ाई पार्कों का क्षेत्रफल तथा सामुदायिक सुविधाओं का प्राविधान निर्धारित से कम होने की दशा में यथा स्थिति के अनुसार रखते हुए वास्तविक विकास शुल्क का 40 प्रतिशत अधिक शुल्क प्राप्त किया जाय।	इस प्रकार की कालोनियों में वाह्य विकास शुल्क 25 प्रतिशत अधिक लिये जाने की प्रस्तावना है।	इस प्रकार की कालोनियों में वाह्य विकास शुल्क 40 प्रतिशत अधिक लिये जाने की प्रस्तावना है।
(स) निर्धारित मानकों से कम चौड़ी आन्तरिक सड़क उपलब्ध होने मानकों से कम छोड़ी गई भूमि पर 100 प्रतिशत से 150 प्रतिशत सर्किल रेट के अनुसार अधिभार शुल्क लिये जाने का प्राविधान है।	मानकों से कम छोड़े गये मार्ग के क्षेत्रफल की भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत लिये जाने का प्राविधान किया गया है।	मानकों से कम छोड़े गये मार्ग के क्षेत्रफल की भूमि मूल्य का 125 प्रतिशत लिये जाने का प्राविधान किया गया है।

आगरा विकास प्राधिकरण के प्राविधान

मेरठ विकास प्राधिकरण में विचाराधीन

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की प्रस्तावना

(द) मानकों से पार्क का क्षेत्रफल 50 प्रतिशत होने की दशा में पार्क के कम क्षेत्रफल के सम-तुल्य भूमि का सर्किल रेट के अनुसार मूल्य का 1.25 गुना अधिभार लिये जाने तथा 50 प्रतिशत से कम क्षेत्रफल होने की दशा में कुल कम क्षेत्रफल के समतुल्य भूमि पर सर्किल रेट का 2 गुना अधिभार लिये जाने का प्राविधान है। डलावघर चिन्हित नहीं करने पर ₹0 पाँच हजार न बनाये जाने की स्थिति में ₹0 10000.00 का अतिरिक्त अधिभार डलावघर के निर्माण की लागत के अतिरिक्त देय होगा ।

विकास प्राधिकरण द्वारा पार्क का क्षेत्रफल मानको से कम होने की दशा में क्रमशः 0.50 गुना एवं 1.00 गुना अधिभार प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। डलावघर का निर्माण प्राधिकरण द्वारा किये जाने पर इसका समानुपातिक अधिभार कालोनीवासियों पर डाला जाय ।

मानकों से पार्क का क्षेत्रफल 50 प्रतिशत होने की दशा में पार्क के कम क्षेत्रफल के समतुल्य भूमि का सर्किल रेट के अनुसार मूल्य का 1.25 गुना अधिभार लिये जाने तथा 50 प्रतिशत से कम क्षेत्रफल होने की दशा में कुल कम क्षेत्रफल के समतुल्य भूमि पर सर्किल रेट का 2 गुना अधिभार लिये जाने का प्राविधान है। डलावघर चिन्हित नहीं करने पर ₹0 पाँच हजार न बनाये जाने की स्थिति में ₹0 10000.00 का अतिरिक्त अधिभार डलावघर के निर्माण की लागत के अतिरिक्त देय होगा ।

आगरा विकास प्राधिकरण के प्राविधान	मेरठ विकास प्राधिकरण में विचाराधीन	हरिद्वार विकास प्राधिकरण की प्रस्तावना
(य) जिन कालोनियों में 25 प्रतिशत से कम भूखण्डों पर भवन निर्माण हुये हैं उन कालोनियों में सड़कों की चौड़ाई, पार्क क्षेत्रफल व सामुदायिक सुविधाओं में कोई छूट अनुमत्य नहीं होगी।	तदैव	तदैव
(र) जिन कालोनियों में 25 प्रतिशत से अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम भूखण्डों पर भवन निर्मित हो चुके हैं। उनमें सड़कों की चौड़ाई न्यूनतम 6.00 मी० तथा पार्कों का क्षेत्रफल मानकों के 50 प्रतिशत तक होने पर ही नियमितीकरण हेतु चयनित किया जायेगा । तथा बिन्दु 1 से 5 तक अतिरिक्त विकास शुल्क एवं अधिभार लिये जाने की व्यवस्था की गयी है।	तदैव	तदैव

अनधिकृत कालोनियों जो महायोजना में आवासीय भू-उपयोग के विरुद्ध दर्शित हैं।

आगरा विकास प्राधिकरण के प्राविधान

मेरठ विकास प्राधिकरण में विचाराधीन

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की प्रस्तावना

1. ऐसी कालोनियों जो गैर आवासीय भू-उपयोग जोन में बन चुकी हैं या निर्माण की प्रारम्भिक दशा में हैं उन सबका आगरा विकास प्राधिकरण के अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण स्थल पर करके एक तलपट मानचित्र उप-लब्ध स्थिति के अनुसार तैयार किया जाय।

ऐसी कालोनियों जो महायोजना में आवासीय भू-उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोगों में निर्मित हुई हैं उनमें इस प्रकार महायोजना के विरुद्ध विकसित कालोनियों के नियमितीकरण को प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा। गुण दोष के आधार पर यदि कोई कालोनी नियमितीकरण हेतु उपयुक्त पायी

मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्ययोजना के अनुरूप प्रस्तावित है।

2. उपरोक्त प्रकार के ले-आउट प्लान तैयार कराने के पश्चात कालोनाइजर को कठोर चेतावनी दी जाय कि वह कालोनी के विस्तार करने की प्रक्रिया इसके पश्चात भी करता है तो उसके विरुद्ध नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

जाती है तो शासनादेश सं०-2243/9-आ-3-98-26-एल.यू.सी./91 दि० 20-8-98 के प्राविधानों के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के साथ नियमित करने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन उपरान्त शासन को सन्दर्भित कर दी जाय।

मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्ययोजना के अनुरूप प्रस्तावित है।

आगरा विकास प्राधिकरण के प्राविधान

मेरठ विकास प्राधिकरण में विचाराधीन

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की प्रस्तावना

3. महायोजना या जोनल प्लान के भू-उपयोग के विरुद्ध विकसित की गयी कालोनी के कालोनाइजर के विरुद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 के अनुसार शक्ति से कार्यवाही किये जाने के अतिरिक्त भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क जमा करा लिया जाय।

मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्ययोजना के अनुरूप प्रस्तावित है।

4. ऐसी अनधिकृत कालोनी का नियमितीकरण किया जा सकता है जबकि शासन से भू-उपयोग परिवर्तन करने की स्वीकृति प्राप्त हो जाय। इस प्रयोजन के लिये प्राधिकरण इनकी सहायता प्रत्येक कालोनी के गुण व अवगुण को देखते हुये भू-उपयोग परिवर्तन की संस्तुति शासन को करेगा। शासन को भू-उपयोग परिवर्तन की संस्तुति केवल उन्ही कालोनियों में की जाय जहाँ आबादी का घनत्व काफी हो एवं कम से कम 100 अधिक भवन निर्मित हो गये हैं।

मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्ययोजना के अनुरूप प्रस्तावित है।

आगरा विकास प्राधिकरण के प्राविधान

मेरठ विकास प्राधिकरण में विचाराधीन

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की प्रस्तावना

5. ऐसी कालोनियों का भू-उपयोग परिवर्तन करने की संस्तुति के समय यह देखना भी आवश्यक होगा कि प्रश्नगत स्थल का वर्तमान भू-उपयोग ऐसा तो नहीं है जिससे राज्य सरकार अथवा अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के हितों पर कुप्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में भू-उपयोग परिवर्तित करने की संस्तुति करना सम्भव नहीं होगा एवं निवासियों के विरूद्ध धारा-27(1) की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्ययोजना के अनुरूप प्रस्तावित है।

6. यदि भू-उपयोग परिवर्तन करने का अनुरोध शासन के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में इन कालोनियों के नियमितीकरण के लिए वही प्रक्रिया अपनायी जाय जो आवासीय भू-उपयोग जोन में बनी अनधिकृत कालोनियों के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रस्तावित की गयी है। लेकिन इन कालोनियों के कालोनाइजर भवन/भूखण्ड स्वामियों से विकास शुल्क वास्तविक के अनुसार प्राप्त करते हुए भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क नियमानुसार प्राप्त किया जायेगा।

मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्ययोजना के अनुरूप प्रस्तावित है।

आगरा विकास प्राधिकरण के प्राविधान मेरठ विकास प्राधिकरण में विचाराधीन हरिद्वार विकास प्राधिकरण की प्रस्तावना

7. जहाँ कालोनाइजर का कोई अता-पता नहीं है उसके विषय में स्पष्ट जानकारी बिजली विभाग अथवा रजिस्ट्री विभाग से मालूम करके उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाय।

मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्ययोजना के अनुरूप प्रस्तावित है।

मद संख्या 29.17

विषय: जिला पंचायत, हरिद्वार की ज्वालापुर स्थित तहसील हरिद्वार के समीप भवन मानचित्र संख्या म0यो03(क)मान0/हरि0/474/98-99 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

जिला पंचायत, हरिद्वार द्वारा ज्वालापुर स्थित तहसील, हरिद्वार के समीप पूर्व में निर्मित दुकानों के ऊपर निर्माण कार्य करने हेतु मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। स्थल पर भूतल पर पूर्व में दुकानें निर्मित हैं तथा यह 30 मीटर महायोजना मार्ग पर स्थित है। आवेदक द्वारा पूर्व निर्मित दुकानों के प्रथम तल पर स्टोर निर्माण का भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। यह स्थल हरिद्वार महायोजना के राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालय भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित है। महायोजना के प्रखण्डीय विनियमनों में इस प्रकार के उपयोग का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा सेट बैक आदि भी छूट दिये जाने का अनुरोध किया गया है। तदनुसार प्रकरण प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 29.17

विषय: जिला पंचायत, हरिद्वार की ज्वालापुर स्थित तहसील हरिद्वार के समीप भवन मानचित्र संख्या म0यो03(क)मान0/हरि0/474/98-99 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

जिला पंचायत, हरिद्वार द्वारा ज्वालापुर स्थित तहसील, हरिद्वार के समीप पूर्व में निर्मित दुकानों के ऊपर निर्माण कार्य करने हेतु मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। स्थल पर भूतल पर पूर्व में दुकानें निर्मित हैं तथा यह 30 मीटर महायोजना मार्ग पर स्थित है। जिला परिषद द्वारा पूर्व निर्मित दुकानों के प्रथम तल पर स्टोर निर्माण का भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। यह स्थल हरिद्वार महायोजना के राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालय भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित है। महायोजना के प्रखण्डीय विनियमनों में इस प्रकार के उपयोग का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा सेट बैक आदि भी छूट दिये जाने का अनुरोध किया गया है। तदनुसार प्रकरण प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी द्वारा व्यक्त आपत्ति के आधार पर प्राधिकरण द्वारा उक्त मानचित्र को अस्वीकृत किया गया।

मद संख्या 29.18

विषय: स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू-प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया में स्पष्टीकरण।

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0-6073/9-आ-1-99-120विविध/98 दि0 7 दिसम्बर 1999 प्राप्त हुआ है, जो कि बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। इस शासनादेश में यह अपेक्षा की गयी है कि उपरोक्त विषयक प्रकरणों में महायोजना में भू-प्रयोग परिवर्तन हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति गठित कर दी जाये जो इस प्रकार


Secretary


20/11/2000
Vice Chairman


Chairman/Commissioner

मद संख्या 29.18

विषय: स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू-प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया में स्पष्टीकरण ।

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0-6073/9-आ-1-99-120विविध/98 दि0 7 दिसम्बर 1999 प्राप्त हुआ है, जो कि बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एजेण्डा में संलग्नक पृष्ठ सं057 पर उपलब्ध है। इस शासनादेश में यह अपेक्षा की गयी है कि उपरोक्त विषयक प्रकरणों में महायोजना में भू-प्रयोग परिवर्तन हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति गठित कर दी जाये जो इस प्रकार के प्रकरणों पर विचार कर बोर्ड की ओर से संस्तुति अथवा अन्यथा शासन को उपलब्ध कराये। इस समिति का गठन निम्न प्रकार से प्रस्तावित है:-

1. सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार के प्रतिनिधि	सदस्य
3. नगर नियोजक, ह0वि0प्रा0	सदस्य
4. अधिशासी अभियन्ता, ह0वि0प्रा0	सदस्य
5. सहयुक्त नियोजक, मेरठ	सदस्य

इस प्रकार उक्त समिति को शासनादेश के प्रस्तर-2 के प्राविधान सं0-(1), (11) व (111) हेतु अधिकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 29.19

विषय: प्राधिकरण अधिवक्ता को अनुबन्ध वेतन वृद्धि पर विचार ।

प्राधिकरण में अनुबन्ध पर कार्यरत प्राधिकरण अधिवक्ता का वेतन वर्तमान महंगाई के परिप्रेक्ष्य में कम होने के कारण इनका वेतन रू0 4500.00 से बढ़ाकर रू0 8000.00 करने हेतु प्राधिकरण बोर्ड हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

(21)

के प्रकरणों पर विचार कर बोर्ड की ओर से संस्तुति अथवा अन्यथा शासन को उपलब्ध कराये। इस समिति का गठन निम्न प्रकार से प्रस्तावित किया गया :-

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण | अध्यक्ष |
| 2. | संबंधित जिलाधिकारी के प्रतिनिधि जो नगर मजिस्ट्रेट या संबंधित परगना अधिकारी हों। | सदस्य |
| 3. | नगर नियोजक, ह0वि0प्रा0 | सदस्य |
| 4. | अधिशासी अभियन्ता, ह0वि0प्रा0 | सदस्य |
| 5. | सहयुक्त नियोजक, मेरठ | सदस्य |

इस प्रकार उक्त समिति को शासनादेश के प्रस्तर-2 के प्राविधान सं0-(1), (11) व (111) हेतु अधिकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिसे प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी ।

मद संख्या 29.19

विषय: प्राधिकरण अधिवक्ता को अनुबन्ध वेतन वृद्धि पर विचार ।

प्राधिकरण में अनुबन्ध पर कार्यरत प्राधिकरण अधिवक्ता का वेतन वर्तमान महंगाई के परिप्रेक्ष्य में कम होने के कारण इनका वेतन रू0 4500.00 से बढ़ाकर रू0 8000.00 करने हेतु प्राधिकरण बोर्ड हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ता का पारिश्रमिक बढ़ाकर रू0 6000.00 (रू0 छः हजार) प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया ।

Signature
20/11/2000

Signature
Chairman/Commissioner

मद संख्या 29.20

विषय प्राधिकरण के आय-व्ययक 1999-2000 की वित्तीय प्रगति एवं आय-व्ययक को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण का चालू वित्तीय वर्ष 1999-2000 हेतु कुल ₹0 951.00 लाख की आय एवं कुल ₹0 902.10 लाख के व्यय का आय-व्ययक स्वीकृत हुआ था। जिसके विरुद्ध माह नवम्बर 99 तक (8 माहों में) की वित्तीय प्रगति एवं प्रस्तावित पुनरीक्षित आय-व्ययक एक दृष्टि में निम्नवत है:-

क्र.	मद	1998-99 वास्तविक (₹0 लाख में)	1999-2000 मूल आय-व्ययक (₹0 लाख में)	30-11-99 तक वास्तविक (₹0 लाख में)	1999-2000 पुनरीक्षित (₹0 लाख में)
1	प्रारम्भिक अवशेष	479.32	555.25	555.25	555.25
2	राजस्व आय	432.46	362.00	136.75	362.00
3	पूँजीगत आय	218.10	589.00	132.04	270.00
4	कुल आय	650.56	951.00	268.79	632.00
5	कुल आय प्रारम्भिक अवशेष सहित	1129.88	1506.25	824.04	1187.25
6	राजस्व व्यय	242.15	136.35	65.04	137.10
7	पूँजीगत व्यय	332.48	765.75	204.15	718.50
8	कुल व्यय	574.63	902.10	269.19	855.60
9	अन्तिम अवशेष	555.25	604.15	554.85	331.65

मद संख्या 29.20

विषय प्राधिकरण के आय-व्ययक 1999-2000 की वित्तीय प्रगति एवं आय-व्ययक को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

विगत बोर्ड बैठक में चालू वित्तीय वर्ष हेतु कुल रू0 951.00 लाख की आय एवं रू0 902.10 लाख के व्यय का आय-व्ययक स्वीकृत हुआ था। माह नवम्बर 1999 के वास्तविक आय-व्यय को दृष्टिगत रखते हुये प्राधिकरण के समक्ष आय-व्ययक के कतिपय संशोधन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये गये। सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 1999-2000 हेतु पुनरीक्षित आय-व्ययक निम्नवत् अनुमोदित किया गया।

क्र.	मद	1999-2000 पुनरीक्षित (रू0 लाख में)
1	प्रारम्भिक अवशेष	555.25
2	राजस्व आय	362.00
3	पूंजीगत आय	270.00
4	कुल आय	632.00
5	कुल आय प्रारम्भिक अवशेष सहित	1187.25
6	राजस्व व्यय	137.10
7	पूंजीगत व्यय	718.50
8	कुल व्यय	855.60
9	अन्तिम अवशेष	331.65

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

(अ) आय पक्ष

- 37 -

वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक की समस्त मदों का विस्तृत विवरण आगे पृष्ठों में दिया गया है। प्राधिकरण की हरिलोक योजना एवं शिवलोक तृतीय में प्राप्तियाँ लक्ष्य से भी अधिक हुई हैं अतः उक्त मदों में पुनरीक्षित अनुमान क्रमशः ₹0 85.00 लाख से ₹0 100.00 लाख तथा ₹0 7.00 लाख से ₹0 18.00 लाख का बढ़ाया जा रहा है। आय में कमी का मुख्य कारण गायत्री लोक में प्रस्तावित भवनों की बिक्री/निर्माण नहीं होना रहा है। उक्त मद में कुल ₹0 175.00 लाख की आय का अनुमान रखा गया था। परन्तु योजना पंजीकरण/डिमाण्ड सर्वे करने के उपरान्त भवनों हेतु केवल 7 आवेदन पत्र ही प्राप्त हुये थे। अतः भवनों के निर्माण के स्थान पर वर्तमान के साथ-साथ उक्त स्थल पर गुप-हाउसिंग भूखण्डों के विक्रय करने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत एक भूखण्ड 2500 वर्ग मी० का कुल ₹0 87.50 लाख विक्रय भी किया जा चुका है। उक्त भूखण्ड के विरुद्ध अभी तक कुल ₹0 20.17 लाख की राशि आवंटी द्वारा जमा करायी जा चुकी है। शेष राशि 2 वर्षों में त्रैमासिक किस्तों में प्राप्त होगी। अवशेष भूमि को गुप हाउसिंग हेतु अथवा डिमाण्ड के आधार पर भवनों का विक्रय करने का निर्णय विचाराधीन है। अतः इस वित्तीय वर्ष में गायत्री लोक योजना में भूखण्डों के विरुद्ध ज्यादा किस्तें नहीं प्राप्त हो सकेंगी। अतः उक्त मद में प्रस्तावित राशि के अनुमान को तदनुसार ही 175.00 लाख के स्थान पर ₹0 45.00 लाख पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है। इसीप्रकार श्यामलोक योजना में मुख्यतः व्यावसायिक सम्पत्तियों की बिक्री के दृष्टिगत कुल ₹0 125.00 लाख की आय का अनुमान रखा गया था परन्तु व्यावसायिक सम्पत्तियों की बिक्री हेतु अथक प्रयास के बावजूद मांग नहीं आ पा रही है अतः प्राप्ति कम रही है। बिक्री हेतु जो भूखण्ड उपलब्ध है वह होटल व दुकानों हेतु है तथा साइज में काफी बड़े हैं अतः प्रस्ताव है कि होटल हेतु उपलब्ध भूखण्डों को गुप हाउसिंग हेतु परिवर्तित कर विक्रय कर दिया जाय। अतः आय अनुमान को ₹0 125.00 लाख से कम करके ₹0 75.00 लाख करने की आवश्यकता है।

इसीप्रकार आय की एक मुख्य मद "हडकों एवं अन्य संस्थाओं से ऋणों की प्राप्ति" में भी 100.00 लाख की आय का अनुमान रखा गया था। चूँकि प्राधिकरण के पास अपने स्रोतों से ही प्राप्त आय की सावधि जमायें उपलब्ध हैं अतः ऋण प्राप्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त आय अनुमान को शून्य किया जा रहा है।

इसीप्रकार पूंजीगत आय में 'अन्य नई योजनाओं से प्राप्ति' मद में इस वर्ष हेतु कुल ₹0 75.00 लाख की आय का अनुमान रखा गया था। उक्त मद में इस वर्ष कोई नई योजना के भू-अर्जन की कार्यवाही अभी तक नहीं हो पायी है। अतः इस मद में भी आय के अनुमान को ₹0 75.00 लाख के स्थान पर टोकन प्राविधान ₹0 10.00 लाख के पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता है। स्टाम्प ड्यूटी मद में एवं विनियोजनों पर ब्याज प्राप्तियाँ अन्तिम त्रैमास में होती हैं। अतः उक्त मदों में प्राप्तियाँ तदनुसार ही होने पर दर्शायी जायेंगी। आय की शेष मदों में प्राप्तियाँ सन्तोषजनक हैं।

पुनरीक्षित आय-व्ययक का विस्तृत विवरण निम्नवत है:-		
(अ)	राजस्व आय	
1	स्टाम्प ड्यूटी	40.00
2	विनियोजनों पर ब्याज प्राप्तियाँ	40.00
3	मानचित्र शुल्क	10.00
4	शमन शुल्क	100.00
5	पर्यवेक्षण शुल्क	12.00
6	अनुदान प्राप्ति	20.00
7	विविध(टेण्डर फीस, लीज रेंट आदि)	15.00
8	विकास शुल्क	100.00
9	अम्बार शुल्क	15.00
10	फ्री-होल्ड शुल्क	10.00
		362.00
(अ)	कुल राजस्व आय	

	पूँजीगत आय	
1	ऋषिलोक योजना	5.00
2	शिवलोक प्रथम	2.00
3	शिवलोक द्वितीय	7.00
4	शिवलोक तृतीय	18.00
5	हरिलोक	100.00
6	श्यामलोक	75.00
7	हुड्कों एवं अन्य संस्थाओं से ऋणों की प्राप्ति	0.00
8	आई.डी.एस.एम.टी.	6.00
9	गायत्री लोक	45.00
10	अन्य नई योजना	10.00
11	प्राधिकरण कर्मचारियों को भवन निर्माण/वाहन ऋण की वसूली	2.00
		270.00
(ब)	कुल पूँजीगत आय	
		632.00
	कुल आय (अ+ब)	

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

(ब) व्यय पक्ष

आय पक्ष की तरह व्यय पक्ष में भी गायत्री लोक योजना में भवनों का निर्माण न करने के कारण प्रस्तावित व्यय रू0 90.00 लाख के स्थान पर मात्र रू0 10.00 लाख (बाउन्ड्रीवाल आदि हेतु) करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त ऋण वापसी (मूलधन अंश) में प्राविधान रू0 20.00 लाख के स्थान पर रू0 50.00 लाख किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही ब्याज भुगतान मद में वास्तविकता के आधार पर प्राविधान रू0 15.00 लाख को घटाकर मात्र रू0 9.00 लाख किया जा रहा है। वृद्धि का कारण प्राधिकरण द्वारा अधिक ब्याज (बैंकों में मिल रहे सावधि जमाओं ब्याज से अत्यधिक ब्याज) पर शासन से प्राप्त ऋणों को एक मुश्त वापस किया जा रहा है। प्राधिकरण के पास अपने स्रोतों से की गयी आय की सावधि जमायें विभिन्न बैंको में कराई गयी है। प्राधिकरण का प्रयास है कि मार्च 2000 तक प्राधिकरण पर ऋण की स्थिति शून्य हो जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त व्यय की 2 मदें कम्प्यूटर क्रय, रिसर्च ट्रेनिंग डिजाइनिंग एवं परामर्श शुल्क में प्राधिकरण का लेखा, सम्पत्ति एवं अधिष्ठान आदि अनुभाग पूर्णतः कम्प्यूटराइजेशन करने के कार्य प्रगति पर होने के कारण प्राविधानों को पुनरीक्षित करना प्रस्तावित है। इसीप्रकार वाहनों हेतु डीजल पेट्रोल क्रय मद में भी पिछले वित्तीय वर्ष के बिल देरी से इस वर्ष प्राप्त होने से भुगतान के फलस्वरूप प्राविधान को पुनरीक्षित करना प्रस्तावित है। शेष मदों में व्यय प्राविधानों के अन्तर्गत ही है। पुनरीक्षित आय-व्यय का विस्तृत विवरण निम्नवत है:-

क्र.	मद	1998-99 वास्तविक (रू0 लाख में)	1999-2000 मूल आय-व्ययक (रू0 लाख में)	30-11-99 तक वास्तविक (रू0 लाख में)	1999-2000 पुनरीक्षित (रू0 लाख में)
(अ)	राजस्व आय				
1	स्टाम्प ड्यूटी	67.38	40.00	0.00	40.00
2	विनियोजनों पर ब्याज प्राप्तियाँ	42.79	40.00	4.49	40.00
3	मानचित्र शुल्क	11.70	10.00	5.68	10.00
4	शमन शुल्क	119.65	100.00	37.59	100.00
5	पर्यवेक्षण शुल्क	11.49	12.00	5.89	12.00
6	अनुदान प्राप्ति	41.70	20.00	0.00	20.00
7	विविध(टेण्डर फीस, लीज रेन्ट आदि)	14.07	15.00	13.59	15.00

(अ)	राजस्व व्यय	
1	अधिष्ठान के वेतन एवं भत्ते	59.60
2	विविध कार्यालय व्यय(स्टेशनरी,टेलीफोन,छपाई, विज्ञापन, मशीनरी रख-रखाव आदि	23.50
3	वाहन रख-रखाव	
(I)	मरम्मत	2.00
(II)	पैट्रोल/डीजल	3.50
4	कर्मचारियों को वाहन क्रय/भवन निर्माण अग्रिम	5.00
5	मास्टर प्लान सर्वे, अनुदानों से विकास कार्य एवं आवास बन्धु शासन हेतु अंशदान आदि	43.50
		137.10
(अ)	कुल राजस्व व्यय	
(ब)	पूंजीगत व्यय	
1	कार जीप मशीनरी आदि क्रय	5.00
2	कम्प्यूटर क्रय	3.00
3	फर्नीचर/फिक्चर्स क्रय	2.00
4	क्रेन्द्रीय स्टोर (सीमेन्ट व स्टील)	25.00
5	भू-अर्जन व्यय	200.00
6	विकास एवं निर्माण कार्य	217.00
7	इन्फ्रास्ट्रक्चर खाते से विकास कार्य	200.00
8	रिसर्च ट्रेनिंग, डिजाईन एवं परामर्श शुल्क	7.50
9	ऋणों की वापसी	50.00
(I)	मूलधन	9.00
(II)	ब्याज	
		718.50
(ब)	कुल पूंजीगत व्यय	
कुल व्यय (अ+ब)		855.60

अन्त में उपाध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन सहित अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

099

20/1/2000

ka.

क्र.	मद	1998-99 वास्तविक (रू0 लाख में)	1999-2000 मूल आय-वययक (रू0 लाख में)	30-11-99 तक वास्तविक (रू0 लाख में)	1999-2000 पुनरीक्षित (रू0 लाख में)
8	विकास शुल्क	105.67	100.00	58.81	100.00
9	अम्बार शुल्क	18.01	15.00	7.60	15.00
10	फ्री-होल्ड शुल्क	0.00	10.00	3.10	10.00
(अ) कुल राजस्व आय		432.46	362.00	136.75	362.00
(ब) पूंजीगत आय					
1	ऋषिलोक योजना	8.11	5.00	3.18	5.00
2	शिवलोक प्रथम	5.07	2.00	1.04	2.00
3	शिवलोक द्वितीय	9.30	7.00	3.94	7.00
4	शिवलोक तृतीय	15.14	7.00	13.53	18.00
5	हरिलोक	52.30	85.00	62.59	100.00
6	श्यामलोक	124.35	125.00	26.29	75.00
7	हुड़कों एवं अन्य संस्थाओं से ऋणों की प्राप्ति	0.00	100.00	0.00	0.00
8	आई.डी.एस.एम.टी.	3.83	6.00	0.00	6.00
9	गायत्री लोक	0.00	175.00	20.17	45.00
10	अन्य नई योजना	0.00	75.00	0.00	10.00
11	प्राधिकरण कर्मचारियों को भवन निर्माण/वाहन ऋण की वसूली	0.00	2.00	1.30	2.00
(ब) कुल पूंजीगत आय		218.10	589.00	132.04	270.00
कुल आय (अ+ब)		650.56	951.00	268.79	632.00

क्र.	मद	1998-99 वास्तविक (रू० लाख में)	1999-2000 मूल आय-व्ययक (रू० लाख में)	30-11-99 तक वास्तविक (रू० लाख में)	1999-2000 पुनरीक्षित (रू० लाख में)
(अ)	राजस्व व्यय				
1	अधिष्ठान के वेतन एवं भत्ते	60.55	59.60	43.08	59.60
2	विविध कार्यालय व्यय(स्टेशनरी,टेलीफोन,छपाई, विज्ञापन, मशीनरी रख-रखाव आदि	20.95	23.50	9.97	23.50
3	वाहन रख-रखाव				
(I)	मरम्मत	1.31	2.00	1.22	2.00
(II)	पेट्रोल/डीजल	3.18	2.75	2.46	3.50
4	कर्मचारियों को वाहन क्रय/भवन निर्माण अग्रिम	3.66	5.00	0.81	5.00
5	मास्टर प्लान सर्वे, अनुदानों से विकास कार्य एव आवास बन्धु शासन हेतु अंशदान आदि	152.50	43.50	7.50	43.50
(अ)	कुल राजस्व व्यय	242.15	136.35	65.04	137.10
(ब)	पूँजीगत व्यय				
1	कार जीप मशीनरी आदि क्रय	5.95	5.00	3.65	5.00
2	कम्प्यूटर क्रय	0.75	1.00	0.65	3.00
3	फर्नीचर/फिक्चर्स क्रय	1.86	2.00	0.42	2.00
4	क्रेन्डीय स्टोर (सीमेन्ट व स्टील)	16.72	25.00	15.36	25.00
5	भू-अर्जन व्यय	145.31	200.00	29.77	200.00
6	विकास एवं निर्माण कार्य	145.86	297.00	68.61	217.00
7	इन्फ्रास्ट्रक्चर खाते से विकास कार्य	0.00	200.00	74.94	200.00
8	रिसर्च ट्रेनिंग, डिजाईन एवं परामर्श शुल्क	0.19	0.75	4.10	7.50
9	ऋणों की वापसी				
(I)	मूलधन	11.85	20.00	5.00	50.00
(II)	ब्याज	3.99	15.00	1.65	9.00
(ब)	कुल पूँजीगत व्यय	332.48	765.75	204.15	718.50
	कुल व्यय (अ+ब)	574.63	902.10	269.19	855.60